सत्यमेव जयते

# प्रशासनिक प्रतिवेदन

## 2019-20

वन विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

# प्रशासनिक प्रतिवेदन

# 2019-20

## वन विभाग, राजस्थान

**forest.rajasthan.gov.in**

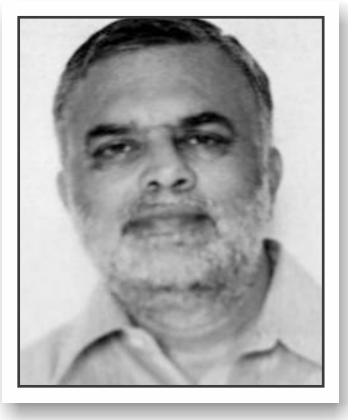

सत्यमेव जयते

**जी.वी. रेड्डी**
IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर
फोन : 0141-2700016

# प्राक्कथन

वन संसाधनों का पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय सुरक्षा से प्रदेश और उसके लोगों की बेहतरी का गहरा संबंध है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले दुष्परिणामों को कुछ हद तक नियंत्रित करने में वनों की एक विशेष भूमिका है।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा, राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, प्रदेश में जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। प्रदेश के वनावरण में उत्तरोत्तर बढोतरी एवं जल सरक्षंण के लिए विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" JICA, Japan से तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)", EDCF, Korea से वित्तीय सहायता हेतु भारत सरकार को भिजवाई जा चुकी हैं।

राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए किये जा विशेष प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। विलुप्तता के कगार पर पहुंचे राज्य पक्षी गोडावण संख्या में बढोतरी हेतु कन्जर्वेशन ब्रिडींग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2019–20 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है, इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है। एतदर्थ वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास हैं कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(जी.वी.रेड्डी)

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| • | प्राक्कथन | |
| • | कार्यकारी सारांश | 1 |
| • | वन विभागः एक नजर में | 5 |
| • | महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति | 6 |
| • | वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति | 7 |
| • | जन घोषणा पत्र | 9 |
| | अध्याय | |
| 1. | राजस्थान के वन संसाधन | 10 |
| 2. | प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली | 14 |
| 3. | वन सुरक्षा | 22 |
| 4. | वानिकी विकास | 27 |
| 5. | मृदा एवं जल संरक्षण | 45 |
| 6. | मूल्यांकन एवं प्रबोधन | 48 |
| 7. | वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन | 53 |
| 8. | कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त | 58 |
| 9. | वन अनुसंधान | 61 |
| 10. | विभागीय कार्य योजना | 65 |
| 11. | तेन्दू पत्ता योजना | 67 |
| 12. | ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस. | 70 |
| 13. | मानव संसाधन विकास | 74 |
| 14. | परिशिष्ठ | |
| | (1) जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण | 78 |
| | (2) वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण | 79 |
| | (3) ईको सेन्सटिव जोन घोषित करवाने सम्बन्धित प्रगति | 82 |
| | (4) राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति | 83 |
| | (5) राजस्व प्राप्तियां | 86 |
| | (6) वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति | 87 |
| | (7) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि | 88 |
| | (8) विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति | 89 |
| | (9) नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन | 90 |
| | (10) विधान सभा प्रश्नो के जवाब भिजवाने की प्रगति बाबत। | 91 |

# कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32845.30 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.597 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.30, 56.31 और 6.39 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16629.51 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 8112 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24741.51 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.23 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान वन्यजीव प्रबंधन सम्बंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान द्वारा राज्य में वन विकास संबंधित कार्यों तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबंध के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित है। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती है, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते है। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेमवाचर होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये आवश्यक वायरलैस प्रणाली स्थापित की गई हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है। वन भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित सहायक वन संरक्षकों को भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं, इस हेतु राज्य में T.A.D. विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। प्रदेश में माह अक्टुबर 2019 तक विभिन्न ग्राम

सभाओं में 76,714 दावे प्राप्त हुए। इनमें से पात्रता रखने वालों को 42813 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र (23762.93 हेक्टेयर) तथा 341 (4389.48 हेक्टेयर) सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में वन विभाग द्वारा 21 वन मण्डलों में अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों की दिनांक 31.12.2019 तक 7050 .shp File फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून को भिजवाई जा चुकी हैं।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार के स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2014 से उक्त प्रस्ताव ऑनलाईन वेब पोर्टल **"www.parivesh.nic.in** के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। इस वर्ष दिनांक 31.12.2019 तक 43 प्रस्तावों में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिनमे 553.34 हैक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु दी गई है। इसके फलस्वरूप 332 हैक्टेयर गैर वन भूमि प्राप्त हुई हैं एवं 427.87 हैक्टेयर परिभ्रांषित वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई है।

इस वर्ष विभाग द्वारा केवल 16582 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है, क्योंकि नाबार्ड एवं जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.), जापान के वित्तीय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में किसी नये वृक्षारोपण कार्य का प्रावधान नहीं था, इसलिये इनमें केवल पूर्व में करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का संधारण कार्य ही करवाया गया है।

वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" राज्य स्तर से अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को दिनांक 22.01.2020 को भिजवाई जा चुकी हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील घोषित किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण भी दिनांक 30.09. 2018 से अस्तित्व में आ गया है। इस नये प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेन्ट एंव प्लानिंग अथारिटी का स्थान ले लिया है। स्टेट कैम्पा में वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि में रिलीज राशि 49824 लाख रूपये के विरूद्ध 45577 लाख रूपये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (NFL & DFL), परिभ्रांषित भूमि पर वृक्षारोपण (ANR), वन भूमि के सीमा स्तंभ निर्माण, पक्की दीवार, वन चौकियों के निर्माण आदि कार्यों पर व्यय किये गये हैं।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं।

राज्य के वन विभाग शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण कार्य किया जाता है।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये ई–गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल–forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह वेबसाईट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platforms जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग की आई॰टी॰ शाखा में जी॰आई॰एस॰ कार्यों के अंतर्गत वन सीमाओं के डिजिटाईजेशन के उपरांत इनमें उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु डिजिटल वन सीमाओं के अद्यतन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। जी॰आई॰एस॰ डेटा का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उपयोगी फॉरेस्ट मैप्स, कार्य आयोजना संबंधी मैप्स, मोबाईल में उपयोग हेतु डिजिटल ज्योग्राफिक डेटा, डिजिटल मैप्स फील्ड कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये हैं। जी0आई0एस0 तकनीक का उपयोग कर भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के वेब पोर्टल की फायर अलर्ट सुविधा के माध्यम से फॉरेस्ट फायर मैप तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है जिससे वनाग्नि प्रबंधन हेतु सहयोग लिया जा सके।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं।

राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य एवं 14 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है।

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार  द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण, प्रजनन एवं अनुसंधान कार्यक्रम हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून एवं राजस्थान सरकार के मध्य संयुक्त समझौते के अनुसार जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र में गोडावण का कशत्रिम प्रजनन का कार्य आरंभ किया जा चुका है।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019 में भी राजस्थान राज्य के वनावरण में वर्ष 2017 की तुलना में 57.51 वर्ग किमी की वृद्धि सार्थक प्रयासों की द्योतक है।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

# वन विभाग : एक नजर में

| | | |
|---|---|---|
| प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल | : | 3,42,239 वर्ग किमी. |
| प्रदेश का कुल वन क्षेत्र | : | 32,845-30 वर्ग किमी. |
| कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र | : | 9.597 |
| प्रदेश का कुल वनावरण | : | 16,630 वर्ग किमी. |
| वृक्षावरण | : | 8,112 वर्ग किमी. |
| वनावरण एवं वृक्षावरण | : | 24,742 वर्ग किमी. |
| राज्य पशु | : | चिंकारा एवं ऊंट |
| राज्य पक्षी | : | गोडावण |
| राज्य वृक्ष | : | खेजड़ी |
| राज्य पुष्प | : | रोहिड़ा |
| राष्ट्रीय उद्यान | : | 3 |
| वन्यजीव अभयारण्य | : | 27 |
| बाघ परियोजनाएं | : | 3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स) |
| रामसर स्थल | : | 2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील) |
| संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व) | : | 14 |
| कुल प्रादेशिक मण्डल | : | 38 |
| वन्यजीव मण्डल | : | 16 |
| भारतीय वन सेवा (कैडर स्ट्रेंथ) | : | 145 |
| राज्य वन सेवा (स्वीकृत पद) | : | 429 |
| अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद) | : | 7,658 |
| एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर | : | 112 |
| लेखा एवं तकनीकी संवर्ग | : | 710 |
| मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद) | : | 990 |
| चतुर्थ श्रेणी संवर्ग | : | 413 |

# महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2019

# की क्रियान्विति की सूचना

| घोषणा क्रमांक | विभाग से संबंधित अभिभाषण के बिन्दु | क्रियान्विति |
|---|---|---|
| 68 | प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने के लिये आगामी वर्षा ऋतु में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जायेगा एवं कृषि वानिकी के तहत एक करोड पौधे वितरित किये जायेंगे। बीकानेर के मरूधरा बायोलोजिकल पार्क व कोटा के अभेडा बायोलॉजिकल पार्क के कार्य के साथ ही बांरा के वन क्षेत्र सोरसन में गोडावण प्रजनन केन्द्र कार्य भी शीघ्र पूर्ण करवाया जावेगा। | प्रदेश में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में माह दिसम्बर 2019 तक 16582.16 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका है।<br><br>वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 146.67 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है।<br><br>मरूधरा एवं अभेडा जैविक उद्यान का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही कुछ पूर्ण एन्क्लोजर में वन्यप्राणी छोडे जायेगें।<br><br>अस्थाई गोडावण प्रजनन केन्द्र, जैसलमेर के सम क्षेत्र में बनाया जाकर कृत्रिम प्रजनन का कार्य आरम्भ किया गया है।<br><br>रामदेवरा में सेटेलाईट प्रजनन केन्द्र तैयार हो रहा है तथा सोरसन के सम्बन्ध में भारतीय वन्यजीव संस्थान से डिजाईन आदि अपेक्षित है। |

# वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

| घोषणा क्रमांक | घोषणा का विवरण | अद्यतन प्रगति | वर्तमान स्थिति | कियान्वयन हेतु समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 48.0.0 | राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करJapan International Co-operation Agency (JICA)को प्रस्तुत किया जायेगा। | राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन परियोजना"Rajasthan Afforestation andBiodiversity Conservation Project (RABCP)केप्रस्तावको मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित High Power State level Standing Committee द्वारा अनुमोदन उपरांत दिनांक 23.01. 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है। | प्रगतिरत | 31.03.2020 |
| 134.09.0 | प्रदेश में इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1474 पदों पर भर्तियां की जायेंगी। | वर्ष 2019–20 में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां निम्नानुसार हैं– सहायक वन संरक्षक 99, रेंजर ग्रेड–I 105, वनपाल 87, वनरक्षक 1041, वाहन चालक 99, सर्वेयर 43 कुल 1474 पद। उक्त भर्तियां RPSC & RSMSSB के माध्यम से करवाये जाने की अभ्यर्थना प्रेषित की गयी है। | प्रगतिरत | 31.12.2020 |
| 146.0.0 | रणथम्भौर नेशनल पार्क देश–विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे। | बाघ संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयासों के अंतर्गत एक Strategy Plan तैयार किया जाकर राज्य सरकार से स्वीकृत हो चुका है। | पूर्ण | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 147.0.0 | गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। | Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार जैसलमेर जिले के सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन के अतिरिक्त राष्ट्रीय मरू उद्यान, रामदेवरा व अन्य क्षेत्रों में इसके संरक्षण हेतु रू. 223 करोड की एक योजना गोडावण संरक्षण हेतु बनी स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। | पूर्ण | |
| 300.0.0 | रणथम्भौर के निकट बून्दी और रामगढ़ विषधारी अभ्याभरण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए परीक्षण करवाया जायेगा। | रणथम्भौर के निकट बूंदी और रामगढ विषधारी अभ्यारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनायी जा रही है। इस बाबत प्रस्ताव उप वन संरक्षक वन्यजीव कोटा से प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। | प्रगतिरत | 31.03.2021 |

# जन घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज)

| क्रमांक | विवरण | अद्यतन प्रगति | वर्तमान स्थिति | कियान्वयन हेतु समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 15.6 | प्रदेश पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए अधिक से अधिक पेड लगाने का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाये जायेगें। | इस वर्ष में माह दिसम्बर तक 16582.16 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इच्छुक नागरिक को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के संबंध में अनेकों व्यावहारिक कठिनाई होने के कारण पालना किया जाना सम्भव नहीं है। | Not Feasible | Not Feasible |
| 15.6 | राज्य की वन एवं वन्यजीवों के उत्कृष्ट प्रबन्धन हेतु राज्य वन एवं वन्य प्रबन्धन बोर्ड का गठन। | 1. राज्य में राज्य वन्यजीव मण्डल प्रभावी है इसलिए अलग से वन्यजीव प्रबन्धन बोर्ड गठित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।<br>2. वन प्रबंधन हेतु वन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य वन सलाहकार परिषद के गठन के आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2010 को जारी किया हुआ है। इसलिए वन के उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।<br>3. विभागीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रबोधन हेतु विचार किया जा रहा है। | Task in Progress | |

# अध्याय–1

# राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून अनुसार $23^0$ 40′ एवं $30^0$ 11′ उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29′ एवं $78^0$17′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 342239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15 वें स्थान पर है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

## 1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र (Recorded forest Area) 32845.30 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

| क्र.सं. | वैधानिक स्थिति | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | आरक्षित वन (Reserve Forest) | 12252.28 | 37.30 |
| 2. | रक्षित वन (Protected Forest) | 18494.97 | 56.31 |
| 3. | अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest) | 2098.05 | 6.39 |
| | **योग** | **32845.30** | **100** |

## 1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2019

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2017 की अवधि में प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report)– 2019 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:–

| Class | Area (in Sq Kms) | % of Geographical Area |
|---|---|---|
| **VDF-** Very Dense Forest (>70% Crop Density) | 77.81 | 0.02 |
| **MDF-**Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density) | 4341.90 | 1.27 |
| **OF**- Open Forest (10-40% Crop Density) | 12209.80 | 3.57 |
| **Total** | 16629.51 | 4.86 |
| **Scrub**(< 10% Crop Density) | 4760.04 | 1.39 |

### 1.2.2 Percentage area under different forest types of Rajasthan

As per the Champion & Seth Classification of Forest Types (1968), The forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types. The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

| S. No. | Forest Type | % of Forest Cover |
|---|---|---|
| 1 | 5A/C1a Very Dry Teak Forest | 5.63 |
| 2 | 5A/C1b Dry Teak Forest | 0.21 |
| 3 | 5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest | 40.07 |
| 4 | 5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub | 10.96 |
| 5 | 5/DS2 Dry Savannah Forest | 0.02 |
| 6 | 5/E1 *Anogeissus pendula* Forest | 15.21 |
| 7 | 5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub | 2.94 |
| 8 | 5/E2 *Boswellia* Forest | 0.79 |
| 9 | 5/E5 *Butea* Forest | 0.30 |
| 10 | 5/E6 *Aegle* Forest | 0.01 |
| 11 | 5/E8a Phoenix /savannah Forest | 0.01 |
| 12 | 5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest | 0.26 |
| 13 | 5/1S2 Khair Sissu Forest | 1.52 |
| 14 | 6B/C1 desert Thorn Forest | 6.17 |
| 15 | 6B/C2 Ravine Thorn Forest | 1.93 |
| 16 | 6B/DS1 *Zizyphus* Scrub | 0.94 |
| 17 | 6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub | 0.19 |
| 18 | 6/E1 *Euphorbia* Scrub | 0.85 |
| 19 | 6/E2 *Acacia senegal* Forest | 0.23 |
| 20 | 6/1S1 Desert Dune Scrub | 6.62 |
| | Plantation/Tree Outside Forests (TOF) | 5.14 |
| | **Total** | **100.00** |

1.2.3 District -wise Forest Cover in Rajasthan

Area in Sq. Kms

| District | Geographical Area (GA) | 2019 Assessment | | | | % of GA | Change wrt 2017 assessment | Scrub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VDF | MDF | OF | Total | | | |
| Ajmer | 8481 | 0.00 | 43.00 | 262.11 | 305.11 | 3.60 | 6.11 | 204.64 |
| Alwar | 8380 | 59.00 | 334.96 | 802.70 | 1196.66 | 14.28 | -0.34 | 245.66 |
| Banswara | 4522 | 0.00 | 38.57 | 229.85 | 268.42 | 5.94 | 7.42 | 63.45 |
| Baran | 6992 | 0.00 | 154.89 | 856.10 | 1010.99 | 14.46 | -2.01 | 106.56 |
| Barmer | 28387 | 0.00 | 3.85 | 285.94 | 289.79 | 1.02 | 16.79 | 234.23 |
| Bharatpur | 5066 | 0.00 | 22.00 | 208.27 | 230.27 | 4.55 | 1.27 | 77.93 |
| Bhilwara | 10455 | 0.00 | 31.00 | 193.19 | 224.19 | 2.14 | 3.19 | 176.39 |
| Bikaner | 30239 | 0.88 | 27.23 | 227.50 | 255.61 | 0.85 | 8.61 | 51.85 |
| Bundi | 5776 | 1.00 | 137.93 | 418.25 | 557.18 | 9.65 | -0.82 | 151.62 |
| Chittaurgarh | 7822 | 0.00 | 220.55 | 768.25 | 988.80 | 12.64 | -0.20 | 100.09 |
| Churu | 13835 | 0.00 | 3.00 | 79.00 | 82.00 | 0.59 | 0.00 | 22.00 |
| Dausa | 3432 | 0.00 | 12.00 | 105.00 | 117.00 | 3.41 | 0.00 | 99.00 |
| Dhaulpur | 3033 | 0.00 | 80.00 | 339.00 | 419.00 | 13.81 | 0.00 | 75.40 |
| Dungarpur | 3770 | 0.00 | 42.71 | 259.59 | 302.30 | 8.02 | 11.30 | 75.35 |
| Ganganagar | 10978 | 0.00 | 10.00 | 102.92 | 112.92 | 1.03 | -0.08 | 13.00 |
| Hanumangarh | 9656 | 1.00 | 7.00 | 81.96 | 89.96 | 0.93 | -0.04 | 1.00 |
| Jaipur | 11143 | 12.00 | 97.11 | 443.65 | 552.76 | 4.96 | 0.76 | 285.39 |
| Jaisalmer | 38401 | 3.93 | 51.13 | 270.71 | 325.77 | 0.85 | 12.77 | 213.27 |
| Jalor | 10640 | 0.00 | 18.91 | 249.16 | 268.07 | 2.52 | -6.93 | 250.89 |
| Jhalawar | 6219 | 0.00 | 83.02 | 352.56 | 435.58 | 7.00 | -3.42 | 102.34 |
| Jhunjhunun | 5928 | 0.00 | 21.00 | 179.77 | 200.77 | 3.39 | 4.77 | 186.72 |
| Jodhpur | 22850 | 0.00 | 4.55 | 103.23 | 107.78 | 0.47 | 2.78 | 172.71 |
| Karauli | 5524 | 0.00 | 95.00 | 775.00 | 870.00 | 15.75 | 0.00 | 273.00 |
| Kota | 5217 | 0.00 | 153.62 | 393.11 | 546.73 | 10.48 | -3.27 | 135.17 |
| Nagaur | 17718 | 0.00 | 15.00 | 132.04 | 147.04 | 0.83 | 4.04 | 102.32 |
| Pali | 12387 | 0.00 | 209.94 | 464.91 | 674.85 | 5.45 | 0.85 | 323.64 |
| Pratapgarh | 4449 | 0.00 | 562.54 | 475.37 | 1037.91 | 23.33 | -6.09 | 58.73 |
| Rajsamand | 4655 | 0.00 | 134.91 | 386.88 | 521.79 | 11.21 | 10.79 | 124.23 |
| Sawai Madhopur | 4498 | 0.00 | 153.92 | 308.77 | 462.69 | 10.29 | -3.31 | 119.67 |
| Sikar | 7732 | 0.00 | 31.00 | 162.06 | 193.06 | 2.50 | 1.06 | 202.34 |
| Sirohi | 5136 | 0.00 | 300.74 | 611.17 | 911.91 | 17.76 | -2.09 | 229.36 |
| Tonk | 7194 | 0.00 | 26.94 | 138.12 | 165.06 | 2.29 | 0.06 | 57.73 |
| Udaipur | 11724 | 0.00 | 1213.88 | 1543.66 | 2757.54 | 23.51 | -6.46 | 224.36 |
| **Grand Total** | **342239** | **77.81** | **4341.90** | **12209.80** | **16629.51** | **4.86** | **57.51** | **4760.04** |

## 1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्यः एक दृष्टि में

| | |
|---|---|
| ● राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded forest Area) | 32845.30 वर्ग किमी |
| ● राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि | 9.59 प्रतिशत |
| ● राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover) | 16630 वर्ग किमी |
| ➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण | 12282 वर्ग किमी |
| ➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण | 4348 वर्ग किमी |
| ● राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover) | 8112 वर्ग किमी |
| ● राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover) | 24742 वर्ग किमी |
| ➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का | 7.23 प्रतिशत |
| ➢ प्रति व्यक्तिऔसतन वनावरण एवं वृक्षावरण | 0.036 हेक्टेयर |

# अध्याय–2

# प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

## 2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

### 2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष है। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर द्वारा वानिकी एवं वन्य जीव विषयों से संबंधित समस्त विषयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं प्रबंधन के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को भी विभिन्न वृत क्षेत्रों के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

### 2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये है। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।

- इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती हैं तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई. ) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।

- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अलावा मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।

- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजें हैं। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

### 2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ठ योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

## 2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

### 2.2.1 भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व के लिए स्वीकृत है।

(दिनांक 01.01.2020 की स्थिति अनुसार)

| क्र.सं. | पद नाम | कैडर पद | | एक्स कैडर पद पर कार्यरत |
|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | कार्यरत | |
| 1. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक | 2 | 1 | 5 |
| 2. | अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक | 6 | 3 | 13 |
| 3. | मुख्य वन संरक्षक | 21 | 11 | 6 |
| 4. | वन संरक्षक | 16 | 10 | 11 |
| 5. | उप वन संरक्षक | 44 | 17 | 17 |

### 2.2.2 राजस्थान वन सेवा

| क्र.सं. | पद नाम | कुल पदों की संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| **1.** | उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल) | 05 | 04 |
| **2.** | उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) | 26 | 14 |
| **3.** | उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल) | 52 | 32 |
| **4.** | उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल) | 78 | 47 |
| **5.** | सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) | 268 | 178 |
| | **योग** | **429** | **276** |

## 2.3 विभिन्न संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति (1.1.2020 की स्थिति)

### 2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारी

| क्रं.सं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 1. | अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी सेवा) | 4 | 0 |
| 2. | सहायक कृषि अभियंता(अभियांत्रिकी सेवा) | 3 | 2 |
| 3. | विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण | 130 | 45 |

### 2.3.2 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा

| क्रं.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जू–अधीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 2 | जू–सुपरवाईजर | 4 | 0 | 4 |
| 3 | रेंजर ग्रेड–I | 258 | 114 | 144 |
| 4 | रेंजर ग्रेड–II | 451 | 251 | 200 |
| 5 | वनपाल | 979 | 797 | 182 |
| 6 | सहायक वनपाल | 1498 | 1175 | 323 |
| 7 | वनरक्षक | 4467 | 2533 | 1934 |
| | **योग** | **7658** | **4871** | **2787** |

### 2.3.3 लेखा संवर्ग एंव तकनीकी सेवा

| क्रं.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग | 710 | 440 | 270 |

### 2.3.4 मंत्रालयिक सेवा

| क्रं.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मंत्रालयिक संवर्ग | 990 | 652 | 338 |

### 2.3.5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

| क्रं.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारीगण | 413 | 379 | 34 |

### 2.3.6 विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर

| क्रं.सं. | पदनाम | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एंव रिक्त | 112 | 85 | 27 |

## 2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धित विवरण

- वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दिनांक 01.12.2018 तक विभाग में सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से वनपाल के 228 एवं वनरक्षक 1774 रिक्त पदों पर सीधी द्वारा नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है।वर्ष 2016–17 के दौरान 228 वनपालों एवं 1672 वनरक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में 83 वनपालों, 35 पुरूष वनरक्षकों एवं 42 महिला वनरक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 99 एवं रेंजर ग्रेड – I के 105 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21.01.2020 द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।
- अधिनस्थ संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा वनपाल के 87, वनरक्षक के 1041, वाहन चालक के 99, एवं सर्वेयर के 43 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.01.2020 के द्वारा सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को अर्थना भिजवायी जा चुकी है तथा मंत्रालयिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के 103

रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.09.2019 द्वारा संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) राजस्थान जयपुर को भिजवायी जा चुकी है।

## 2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण (वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक)

| क्रं.सं. | पदनाम | प्रदान की गई नियुक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| **1.** | वनपाल | 61 |
| **2.** | कनिष्ठ सहायक | 12 |
| **3.** | वनरक्षक | 7 |
| **4.** | वाहन चालक | 2 |
| **5.** | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 15 |
| | **योग** | **97** |

## 2.6 अधीनस्थ संवर्ग में विभागाध्यक्ष स्तर पर दी गई पदोन्नतियां (31.12.2019 तक)

| क्र.सं. | पदनाम | पदोन्नतियों की संख्या | डी.पी.सी. वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय (रिव्यू) | 5 | 2017–18 |
| 2 | क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय | 27 | 2018–19 |
| 3 | अनुसंधान सहायक | 1 | 2018–19 |

## 2.7 मंत्रालयिक संवर्ग में विभागाध्यक्ष स्तर पर दी गई पदोन्नतियां (31.12.2019 तक)

| क्र.सं. | पदनाम | दी गई पदोन्नतियों की संख्या | डी.पी.सी. वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रशासनिक अधिकारी | 9 | 2019–20 |
| 2 | अति. प्रशासनिक अधिकारी | 28 | 2019–20 |
| 3 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 28 | 2019–20 |
| 4 | वरिष्ठ सहायक | 52 | 2019–20 |
| 5 | निजी सचिव | 1 | 2019–20 |
| 6 | अति.निजी सचिव | 1 | 2019–20 |
| 7 | निजी सहायक | 4 | 2019–20 |

## 2.8 वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2019–20 में प्रकाशन

| क्र.सं. | पदनाम | आदेश क्रमांक एवं दिनांक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | अमीन | 3139–3149 /सी दिनांक 22.5.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 2 | कनिष्ट अभियंता | 3150–3158/सी दिनांक 22.05.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 3 | ट्रेसर | 3159–3175/सी दिनांक 22.05.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 4 | निरीक्षक | 3176–3185 /सी दिनांक 22.5.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 5 | अनुसंधान सहायक | 3186–3189/सी दिनांक 22.05.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 6 | प्रारूपकार | 3190–3198 /सी दिनांक 22.5.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 7 | सर्वेयर/फील्डमैन | 4144–4255/सी दिनांक 1.07.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |
| 8 | वनपाल | 7876–7987/सी दिनांक 19.12.2019 | दिनांक 1.4.2019 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन |

# अध्याय–3

## वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार है–

### 3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

### 3.2 वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 है।

### 3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

### 3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराधी संबन्धी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफएमडीएसएस पोर्टल (FMDSS Portal) तथा मोबाइल FMDSS app तैयार किया गया है। उक्त मोबाइल एप यूजर फ्रेण्डली है। इस एप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है पिछले चार वर्षों 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 के 39438 प्रकरणों को दिनांक 20.01.20 तक FMDSS Portal दर्ज किया जा चुका है। इसी प्रकर वन अग्नि प्रकरणों की सूचना भी दर्ज करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

## 3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड किया। वन विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया है तथा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 11 नियमों, 10 नोटिफिकेशनों तथा 2 आदेश को अपलोड किया गया है।

इसी प्रकार राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 को अपलोड किया गया है और केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशनों को अपलोड किया गया है। इन्हें इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/ नियम/ नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ. (searchable.pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

**वित्तीय वर्ष 2019–20 में 31.12.2019 तक वन अपराध के दर्ज प्रकरणो का विवरण**

| क्र.सं. | वन अपराध का प्रकार | गत वर्ष (2018–19) तक लम्बित प्रकरण | इस वर्ष में दर्ज प्रकरण | निस्तारित प्रकरण | एवजाना राशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वनभूमि पर अतिक्रमण | 133 | 58 | 19 | 2.72 |
| 2. | अवैध खनन | 1234 | 1030 | 1014 | 292.80 |
| 3. | अवैध कटान | 1645 | 1805 | 1793 | 76.46 |
| 4. | अवैध चराई | 665 | 2787 | 2756 | 34.87 |
| 5. | वन्यजीव अपराध, शिकार | 1683 | 236 | 96 | 12.10 |
| 6. | शाख तरासी तथा वृक्ष छंगाई | 167 | 788 | 776 | 11.82 |
| 7. | सीमा चिन्हों की तोडफोड/ परिवर्तन | 41 | 4 | 1 | 0.05 |
| 8. | वन उत्पाद का अवैध परिवहन | 512 | 1295 | 1053 | 429.23 |
| 9. | अवैध आरा मशीन | 1028 | 195 | 254 | 11.32 |
| 10. | अन्य अपराध | 1171 | 1553 | 1471 | 81.11 |
| | **योग** | **8279** | **9751** | **9233** | **952.48** |

## 3.6 राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.2019 तक प्राप्त सूचना अनुसार 2726 प्रकरण दर्ज हुए। वर्तमान में वनभूमि पर कुल 12260 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हैं जिसमें 14539 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र शामिल है, इनमें से दिनांक 31.12.2019 तक 2591.79 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित कुल 3013 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रूपये 57.20 लाख वसूल की गई है।

## 3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों को अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग(नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में अक्टूबर, 2019 तक कुल 76,714 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 42813 (23762.93 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 341 (4389.48 हेक्टेयर) कुल 43154 (28152.41 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन 109/2008 वाईल्ड लाईफ फर्स्ट व अन्य बनाम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 06.08.19 तथा 12.09.19 की पालना में वन सुरक्षा अनुभाग को रिव्यू के पश्चात् कुल 21 वन मण्डलों से अस्वीकृत वनाधिकार प्रकरण की 7050 .kml/ .shp Files प्राप्त हुई, जिनमें वनभूमि पर अतिक्रमण है। इस अनुभाग द्वारा प्राप्त .kml की .shp File तैयार कर दिनांक 31.12.19 तक कुल 7050 .shp File अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर तथा फोरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया को प्रेषित की गई है।

## 3.8 वन भूमि का प्रत्यावर्तन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि/क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व राज्य सरकार/ भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन एवं आवेदन से स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑन लाईन है यह सुविधा वेब पोर्टल "www.parivesh.nic.in" पर उपलब्ध है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिनकी पालना संबंधित आवेदककर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करने पर अनुपालना राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.14 के क्रम में 1 हैक्टर तक के जनोपयोगी कार्यो के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है। "लीनियर" प्रकृति के समस्त तथा 40 हेक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्तावों को छोडकर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टेयर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है।

यहॉ यह भी उल्लेख है कि जो परियोजनाएँ वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर परिधी में से होकर गुजरती है उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्व Wildlife Clearance भी प्राप्त करना आवश्यक है।

**Abstract of development project under FCA, 1980 as on 31.12.2019 (on line & offline)**

| S. No. | Category/Deptt. | Proposal under consideration with | | | | | | | No of cases in which in principle sanction has been issued | No of cases in which final sanction has been issued (1.01.19 to 31.12.19) | Forest area diverted (in Ha) | Area received | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | User Agency | Government of India | Government of Rajasthan | PCCF | CCF | DCF | Total | | | | Non forest land (in Ha) | Degraded forest land (in Ha) |
| 1 | Irrigation | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 15 | 2 | 121.74 | 121.74 | 0 |
| 2 | Drinking Water (PHED) | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 4 | 28.37 | 27.81 | 0 |
| 3 | ROAD (NHAI/ PWD) | 64 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 | 96 | 60 | 8 | 26.70 | 23.54 | 0 |
| 4 | RUIDP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TRANSMISSION LINE (RRVPNL/PGCIL/ DISCOM) | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25 | 21 | 14 | 214.84 | 0 | 427.87 |
| 6 | Indian Railway | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 38.50 | 38.50 | 0 |
| 7 | Others | 40 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 67 | 28 | 13 | 123.19 | 120.41 | 0 |
| **Total** | | **144** | **10** | **18** | **20** | **12** | **27** | **231** | **142** | **43** | **553.34** | **332.00** | **427.87** |

# अध्याय–4

## वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सकें।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2019 में भी राजस्थान में 57.51 वर्ग कि0मी0 वृक्षाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्शायी गयी है।

### 4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषिंत वनों की पुरस्थापना, पंचायत भूमि पर ईधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाउ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवद्वि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधें परम्परागत

पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

## 4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

| कार्य काविवरण | उपलब्धि | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | (दिसम्बर,2019 तक) |
| पौधारोपण (है0 में) | 66815 | 43873 | 34798 | 24427 |
| पौधारोपण (लाखों में) | 443.568 | 300.665 | 203.556 | 156.743 |

## 4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

### 4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सीवन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है।

इस परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

**"साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।"**

इन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वशद्वि करते हुये आजिविका संवर्द्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं। गांव वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य

विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह परियोजना मूलतः 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी। इसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.77 करोड़ का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। जायका के साथ हुए ऋण अनुबंध की अक्टूबर 2021 तक वैधता तथा अवशेष ऋण राशि के कारण परियोजना कार्यावधि में दो वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु की गई है। इस अवधि में कोई नया लक्ष्य नहीं है अपितु केवल संधारण कार्य ही करवाये जा रहे हैं।

#### 4.3.1.1 परियोजना का विवरण

| Sr. No. | PACKAGES | TOTAL (in Crore) |
|---|---|---|
| 1 | AFFORESTATION | 423.28 |
| 2 | AGRO FORESTRY ACTIVITIES | 1.63 |
| 3 | WATER CONSERVATION STRUCTURES | 46.92 |
| 4 | BIODIVERSITY CONSERVATION | 84.36 |
| 5 | POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT | 16.89 |
| 6 | COMMUNITY MOBILIZATION | 65.42 |
| 7 | CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH | 6.34 |
| 8 | PROJECT MANAGEMENT | 29.82 |
| 9 | MONITORING & EVALUATION | 5.90 |
| 10 | CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU | 14.96 |
| | **TOTAL** | **695.52** |
| 11 | PRICE ESCALATION | 97.50 |
| 12 | PHYSICAL CONTINGENCY | 79.30 |
| 13 | CONSULTING SERVICES | 12.47 |
| 14 | ADMINISTRATIVE COST | 219.17 |
| 15 | VAT & IMPORT TAX | 14.00 |
| 16 | INTEREST DURING CONSTRUCTION | 27.50 |
| 17 | COMMITMENT CHARGES | 7.07 |
| | **TOTAL** | 457.01 |
| | **GRAND TOTAL** | **1152.53** |

परियोजना अंतर्गत वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्द्धन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन तथा प्रबोधन एवं मूल्याकंन कार्य संबंधित गतिविधियां क्रियान्वित करवाई गई हैं जबकि अब मुख्यतया संधारण कार्य करवाया जा रहा है। आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से 1948 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

### 4.3.1.2 बायोलाजिकल पार्क निर्माण एवं आय का विवरण

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जन बायोलोजिकल पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 से प्रारम्भ हो गये हैं। इसके अतिरिक्त अभेडा बायोलोजिकल पार्क, कोटा का कार्य प्रगतिरत है। इन बायोलोजिकल पार्कों से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | पार्क का नाम | पर्यटकों की संख्या (लाखों में) 2015–16 | कुल आय (लाख रूपये में ) 2015–16 | पर्यटकों की संख्या (लाखों में) | | कुल आय (लाख रूपये में ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016–17 से 2018–19 | 2019–20 | 2016–17 से 2018–19 | 2019–20 |
| 1. | नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर | 0 | 0 | 13.089 | 3.362 | 560.43 | 155.09 |
| 2. | माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर | 1.246 | 41.24 | 10.243 | 2.622 | 347.25 | 85.05 |
| 3. | सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर | 2.832 | 85.49 | 9.602 | 1.856 | 307.36 | 62.68 |
| कुल योग | | **4.078** | **126.73** | **32.934** | **7.840** | **1215.04** | **302.82** |

### 4.3.1.3 Physical Progress

| Item | Unit | Project Target | Cumulative Achievement (up to 31.12.2019) |
|---|---|---|---|
| **Package - 1 : Afforestation** | | | |
| Plantation | Ha | 83650 | **83675** |
| **Package - 2 : Agro Forestry** | | | |
| Raising of Seedlings by SHGs | Nos | 130 | **106** |
| Trainings to SHGs | Nos | 130 | **86** |
| **Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)** | | | |
| Anicut-I | Nos | 600 | **600** |
| Anicut-II | Nos | 400 | **400** |
| Check Dams | Cumt | 200000 | **200000** |
| Contour Bunding | Rmt | 500000 | **500967** |
| Percolation Tank | Nos | 700 | **700** |
| Renovation/restoration of TWHS | Nos | 200 | **200** |
| Silt Detention structure | Nos | 300 | **300** |
| Gabion Structures | Nos | 500 | **500** |
| **Package - 4 : Biodiversity Conservation** | | | |
| DLT Works | Ha | 12000 | **12000** |
| Development of water points | Nos | 100 | **100** |
| Biodiversity Closures | Ha | 5000 | **5000** |
| Abheda Biological Park, Kota | Nos | | **Progress** |
| **Package - 5 : Proverty Alleviation and Income Generation Activities** | | | |
| No of SHG Formed | Nos | 1950 | **1948** |
| Mobilization of SHG | Nos | 1950 | **1529** |
| Livlihood improvement Activities | Nos | 1950 | **1086** |
| **Package - 6 : Capacity Building, Training and Research** | | | |
| VFPMC training by NGO | Nos | 1300 | **1291** |
| NGOs training | Nos | 6 | **7** |
| Forest & Cattle Guards | Nos | 54 | **64** |
| Range Officers/ ACFs | Nos | 6 | **6** |
| DCFs and Equivalent | Nos | 2 | **2** |
| Project Personnel | Nos | 6 | **8** |
| VFPMC Members | Nos | 12 | **12** |
| Overseas Study Tours (I) | Nos | 5 | **0** |
| Overseas Study Tours (II) | Nos | 6 | **0** |
| Overseas Training of Officers | Nos | 20 | **0** |
| Research: Rohida and Khejri | Ha | 200 | **115** |
| Extension camps/Field Visits by DMUs | Nos | 1400 | **1241** |
| Training in GIS | Persons | 200 | **1032** |

| Package - 7 : Community Mobilisation | | | |
|---|---|---|---|
| VFPMC/EDC Formation & Strengthening | Nos | 650 | **650** |
| Microplanning | Nos | 650 | **650** |
| Entry Point Activities First Year | Nos | 650 | **623** |
| Second Year | Nos | 650 | **642** |
| Meeting Center for VFPMC | Nos | 650 | **594** |
| Awareness camp | Nos | 650 | **608** |
| Workshop and Seminars at DMU Level | Nos | 135 | **112** |

### 4.3.1.4 Financial Progress FY. 2016-17 to Dec. 2019 ((Rs. In Lac)

| S. No. | Name of Activities / Item | Allocation as per Project Cost | upto 2015-16 | Ach. 2016-17 to 2018-19 | 2019-20 | | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BE | Ach. Up to Dec.19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | AFFORESTATION | 42328 | 35528.34 | 21056.34 | 2176.16 | 1195.92 | 57780.6 |
| 2 | AGRO FORESTRY ACTIVITIES | 163 | 4.99 | 64.74 | 28.28 | | 69.73 |
| 3 | WATER CONSERVATION STRUCTURES | 4692 | 2048.13 | 4199.36 | 375.34 | | 6247.49 |
| 4 | BIODIVERSITY CONSERVATION | 8436 | 9048.61 | 2424.63 | 1050 | 792.29 | 12265.53 |
| 5 | POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT | 1689 | 361.66 | 404.76 | 289 | | 766.42 |
| 6 | CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH | 634 | 167.61 | 98.17 | 138.25 | | 265.78 |
| 7 | COMMUNITY MOBILIZATION | 6542 | 3819.41 | 1517.23 | 62.7 | 2.27 | 5338.91 |
| 8 | PROJECT MANAGEMENT | 2982 | 1571.37 | 606.29 | 252.7 | 17.94 | 2195.6 |
| 9 | MONITORING & EVALUATION | 590 | 148.69 | 55.36 | 66 | 13.66 | 217.71 |
| 10 | CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU | 1496 | 742.58 | 729.87 | 251.57 | 21.25 | 1493.7 |
| | Total A | 69552 | 53441.39 | 31156.75 | 4690 | 2043.33 | 86641.47 |
| 11 | PRICE ESCALATION , PHYSICAL CONTINGENCY , CONSULTING SERVICES | 18925 | | | | | |
| | Total B | 88477 | 53441.39 | 31156.75 | 4690 | 2043.36 | 86641.5 |
| 12 | ADMINISTRATIVE COST, VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION, COMMITMENT CHARGES | 26776 | 18289.5 | 3627.5 | 170 | 68.83 | 21985.83 |
| | Grand Total | 115253 | 71730.89 | 34784.25 | 4860 | 2112.16 | 108627.3 |

## 4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

### 4.3.2.1 Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-I) under RIDF-XVIII

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. ट्रांच 18 अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यो हेतु राशि रू. 336.65 करोड की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्वन आदि कार्य भी किये जा रहे है। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे है। अब तक परियोजना अन्तर्गत 52750 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि रू.7897.67 लाख, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 13317.08 लाख, वर्ष 2014–15 में राशि रू. 5154.31 लाख, वर्ष 2015–16 में राशि रू. 1676.72 लाख, 2016–17 मे राशि रू. 915.16 लाख, 2017–18 में 391.39 लाख, वर्ष 2018–19 में 100.62 लाखरूपये व्यय किए गए हैं।

### परियोजना के मुख्य उद्देश्य

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यो के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हो तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सकें।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवशद्वि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईधन व चारे की उपलब्धता को बढाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।

- जलवायु परिर्वतन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्राषिंत वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा। जिसके परिणाम स्वरूप जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा।

#### 4.3.2.2 Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-II) under RIDF-XX

नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XX Phase-IIपरियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में 43000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण,भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यो हेतु राशि रू. 282.34 करोड की लागत का द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर विकास कार्य प्रगतिरत है।

अब तक परियोजना अन्तर्गत 42,950 है0 में वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है, परियोजना में वर्ष 2014–15 मे राशि रू. 7810.20 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 8821.23 लाख 2016–17 मे 4327.13 लाख, वर्ष 2017–18 में राशि रू 1470.92 लाख, वर्ष 2018–19 में 687.56 लाखरूपये का वृक्षारोपण एवं उत्पादकता संवर्धन कार्य में व्यय किया गया है। वर्तमान में संधारण कार्य करवाए जा रहे हैं।

#### 4.3.2.3 Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, (Phase-III) 2016-17 to 2020-21

वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रोंमें जल संग्रहण क्षमता बढाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बांरा, कोटा, झालावाड, चितौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, उदयपुर एवं सिरोही में राशि 157 करोड 61 लाख की लागत से विशेष योजना कियान्वित की जा रही है। नाबार्ड तृतीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम व द्वितीय के अनुसार ही है।इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी पूर्वानुसार 7 पैकेज में विभक्त किया गया है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को मुख्यतः मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन योजना में चयनित गावों में लिया गया है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी किये जाने है। मृदा एवं जल संरक्षण संरचना एवं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जाएगी, जिससे कि

स्थानीय लोगों की भागीदारी बढे एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड परियोजना के तृतीय चरण में 27400 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का लक्ष्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2016–17 में राशि 5306.60 लाख एवं वर्ष 2017–18 में राशि 5874.59 लाख, वर्ष 2018–19 में 1927. 61 लाखरूपये व्यय किए गए हैं।

इस प्रकार नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनान्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में वर्ष 2018–19 तक 123100 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण पर 657.64 करोड रूपये का व्यय किया गया और वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक संधारण कार्यों पर 5.58 करोड रूपये का व्यय किया गया।

### 4.3.3 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के एवज में यूजर ऐजेन्सी से सीए. एनपीवी, एपीसीए लागू करने की राशि वसूल करने की शर्त अधिरोपित की जा रही है, वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है। इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

#### 4.3.3.1 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।
- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस

पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।

- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।
- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वभक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन किया जावेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।
- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

#### 4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की कियान्विति

- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुर्दढीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा । राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।
- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है ।
- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनौक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के कियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि ( लेखांकन प्रकिया ) नियम, 2018 जारी किये हैं । जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं ।
- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित की गई है ।
- वर्ष 2019–20 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वित्त विभाग राजस्थान से राशि की मांग किये जाने पर उनके द्वारा राशि रू. 100.00

करोड आवंटित किये गये हैं। उक्त राशि विभिन्न वन मण्डलों को अनुमोदित कार्य के अनुसार वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं प्रबंधन कार्य के लिये आवंटित किये जा चुके हैं।

### 4.3.3.3 स्टेट कैम्पा में प्राप्त गत तीन वर्षों की राशि का विवरण

| वित्तीय वर्ष | दिनांक रिलीज | राशि लाखों में | किया गया व्यय | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 15.06.2016 | 8100.00 | 11620.83 | |
| | 24.03.2017 | 5900.00 | | |
| 2017-18 | 12.07.2017 | 9400.00 | 17559.13 | |
| | 28.03.2018 | 8500.00 | | |
| 2018-19 | 31.8.2018 | 16924.00 | 13282.25 | |
| 2019-20 (up to Month Dec. 2019) | - | - | 2634.96 | व्यय बैंक में रही शेष राशि में से |
| | Recd. From Rajasthan Govt. | 1000.00 | 479.89 | व्यय कोषालय के माध्यम से |
| | **Total** | **49824.00** | **45577.06** | |

## 4.3.3.4 राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2016–17 से 2019–20 (31.12.2019 तक)की प्रगति

| नाम कार्य | उपलब्धि | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 में माह दिसम्बर तक |
| क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL | 1518.49 Ha. | 1150.80 Ha. | 696.88 Ha. | 747.75 Ha. |
| क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) DFL | 1547.08 Ha. | 3956.00 Ha. | 1909.68 Ha. | 1885.08 Ha. |
| परिभ्रांषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष (पौधारोपण) ANR | *6300.00 Ha. | 2350.00 Ha. | 5927.00 Ha. | 6000.00 Ha. |
| पक्की दीवार का निर्माण 4/6 फीट ऊंचाई | 42069 Rmt | 121005.50 Rmt | 141654.72 Rmt. | 170000 Rmt. |
| वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण | 2355 No. | 1038 No. | 6436 No. | - |
| एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचानाओं का निर्माण | - | - | 33 No. | - |
| अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण | 21 No. | 15 No. | 26 No. | - |
| रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण | 4 No. | 3 No. | 7 No. | - |
| रेक्स्यू सेन्टर | 0 No. | 17 No. | 1 No. | - |
| वन सुरक्षा कार्यो हेतु वाहन (केन्टर/बोलेरो) खरीद | 5 No. | - | 20 No. (Bolero) | - |
| मोटर साईकिल खरीद | 30 No. | 107 No. | 159 No. | - |
| पैन्थर कन्जरवेशन रिजर्व | - | 300.00 Lac (Jhalana Jaipur) | 441.02 Lac (Jhalana Jaipur) | 20.00 Lac (Jhalana Jaipur) |
| roject Leopard (works including Strengthening aprey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc. )Kumbhalgarh & Raoli Todgarh Sanctuary | - | - | - | - |
| conservation of Bansial Khetari Conservation reserve Jhunjunu asper project | - | 228.55 Lac | 149.38 Lac | - |
| conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation reserve Jhunjunu asper project | - | - | 119.63 Lac R | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relocation of Villages in Tiger Reserves (WLS &NP) including compleation of relocation work in Mukundara Nation Park | 331.82 Lac | - | - | - |
| Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar, Ajmer | - | - | - | - |
| Promation of Natural regeneration through avoided deforestaion (gas distrubution to forest department communities) | 1979.42 Lac | 1986.05 Lac | 852.49 Lac | - |

*उक्त आंकडों में वर्ष 2016–17 में उप वन संरक्षक, जोधपुर को आवंटित 50 हेक्टेयर वृक्षारोपण आवंटित वर्ष में नहीं करवाने के कारण 50 हेक्टेयर उपलब्धि में अतिरिक्त सम्मिलित किया गया है।

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2018–19 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2018–19 तक राशि रू. 1546.30 लाख व्यय किये गए। तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक राशि रू. 59.46 लाख व्यय की जा चुकी है। उक्त योजनान्तर्गत 2.5 मीटर ऊँची 7.005 कि.मी.दीवार तथा 1.5 मीटर ऊँची 37.541 कि.मी. दीवार तथा 240 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

नगर वन योजना के अन्तर्गत कार्य जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा जिले में प्रस्तावित हैं। वर्ष 2018–19 तक कुल राशि रू. 404.80 लाख के आवंटन के विरूद्ध 308.75172 लाख व्यय किये गए। तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक राशि रू. 31.59 लाख व्यय किये जा चुके है।

### 4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कराई जा रही गतिविधियों का विवरण, बजट आंवटन एवं माह दिसम्बर, 2019 तक व्यय राशि की सूचना निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | गतिविधि का विवरण | वर्ष 2019–20 में आवंटित राशि (रू. लाखो में) | दिसम्बर, 2019 तक व्यय राशि (रू. लाखो में) |
|---|---|---|---|
| 1 | पर्यावरण वृक्षारोपण | 70.00 | 41.70 |
| 2 | नेचर पार्क चुरू | 98.50 | 39.85 |
| 3 | अशोक विहार जयपुर का विकास | 10.00 | 7.30 |
| 4 | हर्बल गार्डन अजमेर | 0.00** | 0.00 |
| 5 | स्मृति वन जयपुर का संधारण | 25.00 | 10.44 |
| 6 | मंशा माता जयपुर का विकास | 25.00 | 0.55 |
| 7 | गोरधन परिक्रमा वृक्षारोपण | 5.00 | 3.00 |
| | **योग** | **233.50** | **102.84** |

**R.E.में राशि 5.00 लाख रूपये आवंटन हेतु प्रस्तावित है।

### 4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहें है। इस वर्ष 3800 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 4100 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 2996.97 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2019 तक 1411. 59 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

### 4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण मे आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे है। वर्ष 2019–20 में 4200 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य तथा 2810 है0 में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 3275.26 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2019 तक 1312.67 लाख व्यय किये जा चुके है।

### 4.3.7 भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने के

कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। भाखडा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष रू. 670.79 लाख व्यय किए जाकर 1265 रो0 कि.मी. (421.67 हैक्टेयर) वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2019 तक रू 399.18 लाख रूपये व्यय किए जा चुके है।

| भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क.सं. | वर्ष | वित्तीय (लाख रू.) | | भौतिक उपलब्धि |
| | | **लक्ष्य** | **उपलब्धि** | |
| 1. | 2015–16 | 159.00 | 159.00 | 353.97 आर.के.एम. (118 है0) |
| 2. | 2016–17 | 360.76 | 167.95 | 650 आर.के.एम. (216 है0) |
| 3. | 2017–18 | 355.65 | 320.5 | 318 आर.के.एम. (106 है0) |
| 4. | 2018–19 | 350.00 | 344.90 | 900.48आर.के.एम. (300.16 है0) |
| 5. | 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) | 517.28 | 302.01 | 1140 आर.के.एम. (380 है0) |

| गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क. सं. | वर्ष | वित्तीय (लाख रू.) | | भौतिक उपलब्धि |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| 1. | 2015–16 | 314 | 313.65 | 630 आर.के.एम. (210 है0) |
| 2. | 2016–17 | 315.89 | 228.71 | 385 आर.के.एम. (128 है0) |
| 3. | 2017–18 | 274.50 | 274.35 | 237 आर.के.एम. (79 है0) |
| 4. | 2018–19 | 199.24 | 194.90 | 172.83 आर.के. एम. (57.61 है0) |
| 5. | 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) | 153.51 | 97.17 | 125 आर.के.एम. (41.67 है0) |

### 4.3.8 पौध वितरण

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर.एफ.बी.पी. फेज–। रिवोल्विंग फंड(नोन प्लान)एवं नाबार्ड (प्लान)परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2018–19 में वितरित पौधे वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2019–20 में आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जान वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:

| नाम योजना | वर्ष 2018–19 में वितरित पौधे (लाखों में) | वर्ष 2019–20 में वितरित पौधे (लाखों में) | आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | वित्तीय (रूपये) |
| फार्म फोरेस्ट्री | 24.68 | 40.49 | 20.00 | 271.90 |
| **RFBP Ph. I** (रिवोल्विंग फंड) | 26.27 | 21.70 | 22.00 | 180.00 |
| नाबार्ड परियोजना | 8.79 | 5.82 | 3.15 | 24.95 |
| **योग** | **59.74** | **68.01** | **45.15** | **476.85** |

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 10 लाख बडे पौधो की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 25 लाख बडे पौधो तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 386.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

### 4.3.9 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे है। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते है। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत है। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। वर्ष 2018–19 में केन्द्र सरकार द्वारा राशि 195.25 लाख की रिलीज प्राप्त हुई है। जिसके अन्तर्गत 1400 हैक्टेयर वृक्षारोपण कार्य तथा पूर्व के वर्षों के संधारण कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2019–20 हेतु राशि रूपये 60.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

### 4.3.10 साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में लगभग

6000 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित है। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढीकरण के लिए चालू वर्ष में 20.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है।

### 4.3.11 नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाडमेर में है। वर्ष 2018–19 मे वितरिकाओं के किनारे 120 आर.के.एम. अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य एवं पूर्व के वर्षो मे कराये गये वृक्षारोपण का संधारण कार्य करवाया गया। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2019 तक कुल राशि रू. 2769.57 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2019–20 मे गत वर्ष के दायित्वों के भुगतान एवं गत वर्षो के वृक्षारोपणों के संधारण कार्य हेतु राशि रू. 55.83 लाख का प्रावधान है।

### 4.3.12 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये है। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये है। पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्यो का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:

| क.सं. | वर्ष | पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 मे) |
|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 424.00 |
| 2 | 2017–18 | 597.80 |
| 3 | 2018–19 | 1028.26 |
| 4 | 2019–20 ( दिसम्बर, 2019 तक) | 459.00 |

### 4.3.13 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष 95.00 लाख व्यय किये जायेगें। जिसमे से राशि 20.00 लाख वन्यजीव एवं वानिकी इन्टर्नस पर, राशि 30 लाख काष्ठ आधारित उद्योगों की लकडी आवश्यकताओं के अध्ययन तथा प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 20.00 लाख एवं अनुसंधान हेतु राशि रूपये 25.00 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यो पर दिसम्बर, 2019 तक 27.28 लाख व्यय किये जा चुके है।

# अध्याय–5

# मृदा एवं जल संरक्षण

## 5.1 बाढ सम्भावित नदी परियाजनायें

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :– जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवशत्ति को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 (31.12.2019) तक आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार रही है:

| एफपीआर बनास व लूणी परियोजना | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर में) | जलग्रहण संरचनाओं की संख्या | व्यय राशि (लाखों में) |
| वर्ष 2016–17 | 31 | 11468 | 1181 | 1592.79 |
| वर्ष 2017–18 | 34 | 12674 | 1730 | 1839.05 |
| वर्ष 2018–19 | 38 | 4570 | 697 | 813.24 |
| वर्ष 2019–20 | 38 | 1790 | 244 | 317.12 |

## 5.2 नदी घाटी परियोजनाऐं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962,1969,1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध, वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 (31.12.2019) में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | चम्बल | | | माही | | | दांतीवाडा एवं साबरमती | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भौतिक (हेक्टेयर में) | संरचनाओं की संख्या | वित्तीय (लाख रू. में) | भौतिक (हेक्टेयर में) | संरचनाओं की संख्या | वित्तीय (लाख रू. में) | भौतिक (हेक्टेयर में) | संरचनाओं की संख्या | वित्तीय (लाख रू. में) |
| 2016–17 | 10 | 0 | 7.823 | 1323 | 315 | 191.20 | 3871 | 2920 | 951.37 |
| 2017–18 | 3568 | 368 | 349.90 | 2275 | 543 | 219.32 | 2416 | 969 | 513.11 |
| 2018–19 | 373 | 48 | 144.93 | 970 | 34 | 99.99 | 553 | 1309 | 191.77 |
| 2019–20 | 432 | 26 | 73.116 | 656 | 343 | 104.987 | 29 | 55 | 8.284 |

## 5.3 साद अध्ययन

वर्ष 2019–20 वर्षाकाल में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operationl Guide Line 2008) अनुसार निम्नानुसार उपजलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया:

| क्र0सं0 | परियोजना | साद स्थलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | चम्बल | 1 |
| 2 | माही | 1 |
| 3 | साबरमती | 2 |

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाऐं जो क्रमशः चम्बल परियोजना अंतर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अंतर्गत प्रतापगढ में स्थापित की हुई है जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall,Temperature Humidity,Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours,Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर पीरियड़ अनुसार I.M.D. पूना केन्द्र को भिजवाये गये।

# अध्याय–6

# मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

## 6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है। मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।

- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।
- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई. को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई. राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

## 6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा संपादित मूल्यांकन कार्य

### 6.2.1 वर्ष 2016–17

| क्रम संख्या | नाम संभाग | जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या | | | | | अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या | अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 प्रतिशत से कम | 40–60 प्रतिशत | 60–80 प्रतिशत | 80 प्रतिशत से अधिक | योग | | | |
| 1 | अजमेर | 1 | 33 | 34 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 2 | बीकानेर | 1 | 7 | 14 | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | भरतपुर | 4 | 12 | 7 | 6 | 29 | 0 | 9 | 38 |
| 4 | जयपुर | 2 | 3 | 10 | 16 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | जोधपुर | 0 | 13 | 19 | 4 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | कोटा | 1 | 27 | 8 | 0 | 36 | 16 | 0 | 52 |
| 7 | उदयपुर | 0 | 15 | 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| | योग | **9** | **110** | **97** | **37** | **253** | **16** | **9** | **278** |

### 6.2.2 वर्ष 2017–18

| क्रम संख्या | नाम संभाग | जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 प्रतिशत से कम | 40–60 प्रतिशत | 60–80 प्रतिशत | 80 प्रतिशत से अधिक | योग | |
| 1 | अजमेर | 0 | 8 | 17 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | बीकानेर | 1 | 15 | 19 | 6 | 41 | 41 |
| 3 | भरतपुर | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | जयपुर | 8 | 12 | 13 | 2 | 35 | 35 |
| 5 | जोधपुर | 0 | 4 | 25 | 4 | 33 | 33 |
| 6 | कोटा | 1 | 13 | 5 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | उदयपुर | 23 | 19 | 5 | 0 | 47 | 47 |
| | योग | **36** | **73** | **89** | **12** | 210 | 210 |

### 6.2.3 वर्ष 2018–19

| क्रम संख्या | नाम संभाग | जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या | | | | | अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या | अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 प्रतिशत से कम | 40–60 प्रतिशत | 60–80 प्रतिशत | 80 प्रतिशत से अधिक | योग | | | |
| 1 | अजमेर | 2 | 23 | 8 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | बीकानेर | 0 | 12 | 7 | 6 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | भरतपुर | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 62 | 79 |
| 4 | जयपुर | 6 | 10 | 9 | 16 | 41 | 4 | 4 | 49 |
| 5 | जोधपुर | 0 | 5 | 9 | 1 | 15 | 0 | 5 | 20 |
| 6 | कोटा | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 13 | 38 |
| 7 | उदयपुर | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| | योग | **8** | **86** | **41** | **24** | **159** | **18** | **84** | **261** |

### 6.2.4 वर्ष 2019–20

| क्रम संख्या | नाम संभाग | जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या | | | | | अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या | अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे.एस. ए. फेज–II | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40 प्रतिशत से कम | 40–60 प्रतिशत | 60–80 प्रतिशत | 80 प्रतिशत से अधिक | योग | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | अजमेर | 0 | 15 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | बीकानेर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | भरतपुर | 0 | 2 | 1 | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 |
| 4 | जयपुर | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | जोधपुर | 0 | 1 | 2 | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 |
| 6 | कोटा | 0 | 1 | 1 | 0 | 02 | 10 | 0 | 02 |
| 7 | उदयपुर | 0 | 10 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| | योग | **0** | **36** | **15** | **6** | **57** | **0** | **0** | **57** |

## 6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2016–17 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से करवाया गया है। माह जनवरी 2019 में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

CAMPA के अंतर्गत करवाये गये वभक्षारोपणों में औसत जीवितता 49.37 प्रतिशत पायी गई, जिसमें < 10%, 10–20%, व 20–30% जीवितता प्रतिशत के 5 वृक्षारोपण प्रत्येक कैटेगिरी में पाये गये। 30–40 प्रतिशत जीवितता की 12 साईटस थीं। 50 % से कम जीवितता की 35. 8% साईटस, 50–70 % तथा 70–95% जीवितता की 17.9 % साईटस् पायी गई। मॉडल वाइज ANR, NFL व DFL श्रेणी की औसत जीवितता क्रमशः 45.47 %, 60.37 % तथा 49. 2 % पायी गई।

इसी अवधि में 156 assets का भी सत्यापन किया गया, जिसमें 19 Anicut type II, 18 Anicut type III, 5 आरबोरेटम, 25 साइट्स बाउन्ड्री पिलर्स, 39 पक्की दीवार साईटस (1 साईट 12'उचांई, 25 साईटस् 4'उचांई व 13 साईटस् 6'उचांई), 29 वन चौकी, 14 रेंज फॉरेस्ट ऑफिस व 7 रेस्क्यू सेंटर्स का सत्यापन किया गया।

वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर से करवाया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलो का मूल्यांकन कार्य किया गया है। सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज–I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूरा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में जीवितता प्रतिशत 20% से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 5 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61 –80 % के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65 फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCT/Nadi 36 WHS, 24 Anicut type II, 17 Anicut type-III, 11 Earthen Checkdams भी चैक किये गये। इसमें से 99.6% रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये। 83 % संरचनाएं Functional पायी गयी।

# अध्याय–7

# वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

## 7.1 सक्षिप्त विवरण

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य एवं 14 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 टाईगर रिजर्व भी है। सभी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11782.55 वर्ग कि.मी. है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती है।इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

## 7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी–2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है। रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण फाउण्डेशन में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। अभयारण्यों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार के कार्य किये जाते है।

राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमशः माचिया जैविक उद्यान,सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान विकसित किए गये हैं। कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान व बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।

## 7.3 वर्ष 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

### 7.3.1 ''इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स''

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 29 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत कुल रुपये 1637.19 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैबिटाट डेवलपमेंट, वाटर पॉईन्टस, फायर लाईन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे है।

### 7.3.2 रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

- राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में रुपये 2477.42 लाख का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

- रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर 66 पुलिस कर्मियों ( 1 निरीक्षक तथा 65 कांस्टेबल) को सुरक्षा कार्यों पर लगा दिया गया है। सरिस्का व

मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिये भारत सरकार से STPF के गठन हेतु MoU हस्ताक्षरित करा लिया गया है। इनके लिये भर्ती की कार्यवाही की जा रही है ।

- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

- बाघ परियोजना रणथम्भौर में वर्तमान में 55 बाघ एवं 16 शावक हैं।

- बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में वर्तमान में 16 बाघ है।

- मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में रणथम्भौर से एक बाघ एवं 2 बाघिनों को स्थानान्तरित किया गया है जबकि एक बाघ स्वतः रणथम्भौर से मुकन्दरा पहुॅचा है।

- सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 29 गांव है। भगानी एवं उमरी गांव को वर्ष 2008–09 में तथा रोटक्याला को वर्ष 2012–13 में कुल 3 गांवों को सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है तथा 6 ग्रामों में यह कार्य प्रगतिरत है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 65 गांव है। टाईगर रिजर्व से वर्ष 2008–09 में ग्राम इण्डाला, वर्ष 2009–10 में माचनकी, वर्ष 2011–12 में ग्राम पादडा, वर्ष 2012–13 में मोर डूंगरी तथा वर्ष 2014–15 में भिड तथा वर्ष 2015–16 में कठूली ग्राम कुल 6 ग्रामों को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है तथा 8 ग्रामों में विस्थापन प्रगतिरत है।

मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में कुल 16 ग्राम स्थित है, जिसमें 14 ग्रामों को विस्थापित किया जायेगा। इनमें से 4 ग्राम का विस्थापन प्रगतिरत है।

- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।

- संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटको के लिए ऑन लाईन बुकिंग, तत्काल बुकिंग सेवायें, आधा व पूरा दिन भ्रमण आदि व्यवस्थायें की गई है।

- बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुये इनके लिये नये क्षेत्र विकसित करने हेतु एक रणनीति पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी क्रियान्विति की जा रही है। रामगढ़ विषधारी व कुम्भलगढ़ में बाघों के पुर्नस्थापन की योजना विचाराधीन है।

### 7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप गोडावण का प्रजनन हुआ है। राज्य सरकार, भारत सरकार व भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य हुये करार के अनुसार गोडावण के संरक्षण हेतु एक ''केप्टिव ब्रीडिंग सेन्टर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सेटेलाईट फेसिलिटी जैसलमेर में की जायेगी । वर्तमान में सम चौकी पर एक अस्थाई व्यवस्था कर गोडावण के 9 चूजों का कृत्रिम प्रजनन कर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। इसी करार के तहत खरमोर का भी कृत्रिम प्रजनन किया जाना है ।

### 7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

प्रदेश में 14 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये है, जिनका विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है। वर्ष 2019 में मनसा माता क्षेत्र को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया गया है।

### 7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये एक योजना ''प्रोजेक्ट लैपर्ड'' तैयार कर स्वीकृत की गई है। यह योजना झालाना जयपुर में कियान्वयनित की जा रही है । झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटको का आगमन हुआ है। इस वर्ष राज्य योजना के तहत बस्सी, आबू पर्वत, जयसमन्द आदि में इसका कार्य कराया जा रहा है। शेरगढ़, खेतड़ी, कुम्भलगढ़ आदि क्षेत्रों में कैम्पा मद में प्रोजेक्ट लैपर्ड के समान गतिविधियां कराई जा रही है।

### 7.3.6 ईको–ट्यूरिज्म

प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके समीप विकसित की गई 9 ईको–ट्यूरिज्म साईट्स मेनाल, हमीरगढ, बस्सी, सीतामाता, पंचकुण्ड, सुन्धामाता, गुढा विशनोई, मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, एवं भैंसरोडगढ को आमजन के भ्रमण हेतु खोला गया है। इन साईट्स पर पर्यटकों द्वारा रेस्ट हाऊस एवं टैन्ट्स में रात्रि विश्राम एवं डे ट्यूरिज्म हेतु प्रवास, शैक्षणिक भ्रमण, एडवेन्चर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019–20 में ईको–ट्यूरिज्म हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान है।

### 7.3.7 पक्षी मेला

विभिन्न स्थलो पर  पक्षी मेला (बर्ड फेयर) का भी आयोजन किया गया जिससे पक्षियों एवं वन्यजीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ी है।

### 7.3.8 ईको–सेन्सिटिव जोन

सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों और 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें से आठ क्षेत्रों के फाईनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं,जिनका विवरण परिशिष्ठ के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

### 7.3.9 प्रोजेक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में रह रहे पालतू हाथियों के लिये वर्ष 2019–20 हेतु राशि रुपये 74 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

### 7.3.10 चिड़ियाघर

- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2018–19 में 3.62 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 101.88 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था । उद्यान में वर्ष 2018–19 में 3.17 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 84.12 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2018–19 में 5.26 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रुपये 261.05 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नाहरगढ जैविक उद्यान क्षेत्र के समीप 36. 32 हैक्टेयर में एक लायन सफारी को आमजन के लिये 03.10.2018 को खोला गया था। यह जयपुर में काफी लोकप्रिय स्थल है । हाल ही में एक हिप्पों का जोड़ा भी जैविक उद्यान में लाया गया है । इसके अतिरिक्त हाथी सफारी की व्यवस्था भी की गई है ।

- जयपुर जन्तुआलय में भी इस वर्ष 5.19 लाख पर्यटक आये, जिनसे रुपये 101.4 लाख की आय हुई।

- इसी प्रकार बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान का निर्माण करवाया जा रहा है। अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाने हेतु केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण से स्वीकृति ली जा रही है ।

# अध्याय–8

# कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

- वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।
- वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण।
- वन भूमि के अमलदरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

## 8.1 कार्य आयोजना

प्रत्येक वन मंडल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। वर्तमान में कार्य योजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत है, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती है, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से संबंधित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारियों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान प्रदेश के विभिन्न वनमण्डलो के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई थी जिसमें उदयपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ एवं चित्तौडगढ की कार्य आयोजना समाप्त हो चुकी है। वनमण्डल, बीकानेर एंव वनमण्डल स्टेज।।, बीकानेर की कार्य आयोजना का समाप्ति उपरांत आगामी 2 वर्षो हेतु भारत सरकार से अवधि विस्तार करवाया जा चुका है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड, 2014 अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार कार्य आयोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में एफ0 ई0 एस0 (Foundatation for Ecological Security) आनन्द, गुजरात के तकनीकी सहयोग से 5 जिलों यथा उदयपुर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, बांसवाडा, एवं जयपुर जिलों की कार्य आयोजना तैयारी का कार्य प्रगतिरत है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, राजसमंद एवं दौसा जिलो की प्रारम्भिक कार्य आयोजना स्वीकृत हो चुकी है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड, 2014 के प्रावधानों के तहत इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सैंसिग, जी.आई.एस व जी.पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है जो कि पूर्व मे तैयार की जाती रही कार्य आयोजना की प्रक्रिया से भिन्न है।

## 8.2 वन बन्दोबस्त

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित /रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:–

**(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)**

| **वन खण्डो की जारी अंतिम अधिसूचना** | | | **वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2016–2017** | **2017–18** | **2018–19** | **2016–17** | **2017–18** | **2018–19** |
| 917.2972 | 2255.25 | 320.874 | 1790.419 | 308.1696 | 367.977 |

वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक 2232.69 है0 वन भूमि के प्रारम्भिक विज्ञप्ति तथा 1549.974 है0 के अंतिम विज्ञप्ति प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके है।

### 8.2.1 वन भूमि का विवरण

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32845.30 वर्ग किमी. है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किमी. का 9.59 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12252.28 वर्ग किमी. आरक्षित, 18494.97 वर्ग किमी. रक्षित तथा 2098.04 वर्ग किमी. अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत वन भूमि को अधिसूचित करवाये जाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है।

### 8.2.2 वन भूमि का सीमांकन

वन भूमि की पहचान व सुरक्षा हेतु वन भूमि का सीमांकन वन सीमा पर वन सीमा स्तम्भ लगा कर किया जाता है। राज्य की वन भूमि की सीमा पर 2,83,943 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने अपेक्षित है जिनमें से वर्ष 2018–19 तक 1,11,542 वन सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं जबकि 1,72,401 वन सीमा स्तम्भ लगाये जाने शेष हैं। उपलब्ध बजट के अनुसार प्रतिवर्ष वन सीमा पर स्तम्भ लगाये जा रहे हैं।

### 8.2.3 प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्य

| क्र. स. | सर्वे कार्य का नाम | उपलब्धि | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक (वर्ग किमी) | | | वित्तीय(लाखों में) | | |
| | | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 |
| 1 | प्रारम्भिक सर्वे | 16.50 | 88.00 | 75.90 | 1.06 | 3.04 | 3.41 |
| 2 | प्लेन टेबल सर्वे | 86.93 | 122.41 | 34.61 | 8.38 | 10.74 | 3.36 |

### 8.2.4 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद

वन भूमि का विभाग के नाम दर्ज होना की सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल वन भूमि 32845.30 वर्ग किमी. के विरूद्ध 28096.09 वर्ग किमी. भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हो चुका है किन्तु अभी भी 4749.21 वर्ग किमी. वन भूमि विभिन्न कारणों से अलमदरामद नही हो पायी है। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का स्थाई गठन राज्य सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3/99/जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा किया जा चुका है। इस स्थाई समिति के माध्यम से बैठकें आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमलदरामद करवाने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

# अध्याय–9

## वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन)के कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर, बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत है। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एंव जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें भी है।

### 9.1 पौधशालायें

इस कार्यालय अधीन ग्रासफार्म नर्सरी, जयपुर; फारेस्ट रिसर्च फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर एवं बांकी अनुंसधान केन्द्र, सीसारमा, उदयपुर कुल चार नर्सरियां है। जिनमें अनुसंधान एवं आम जनता को वितरण हेतु पौधे तैयार किये जाते है।

### 9.2 अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। दिनांक 14.06.2019 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में पूर्व के वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले कार्यों का निर्णय लिया गया। विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है

| वर्ष | कार्यालय का नाम | कार्य का विवरण | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | आरबोरीकल्चरिष्ट,विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर | 1. To disseminate research findings pertaining to dry land afforestation and to identify research gaps | 1.00 |
| | | 2. Establishment of a Forest Food Park, at World<br>Forestry Arboretum, Jaipur: | 6.434 |
| | | 3. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan | 0.70 |
| | प्रभारी अधिकारी,वन अनुसंधान फार्म,बांकी,सिसारमा,उदयपुर | 4. Raising of plants of *Mallotus philippensis* (Kamla) by seed | 0.30 |
| | | To study the different methods of *Lantana species* Control | 0.50 |
| | | 6. Development of state trees of India plot: | 0.50 |
| | | 7. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan | 0.70 |
| | प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा | 8. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan | 0.70 |
| | प्रभारी अधिकारी, ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर | 9. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan | 0.70 |
| 2018–19 | वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा | 1.Developing propagation protocol of some useful medicinal plants | 0.25 |
| | विश्व वानिकी वृक्ष उधान, जयपुर | 2. Organisation of Forest Food Festival | 2.00 |
| | | 3.Establishment of "Rashi Van" | 2.00 |
| | वन अनुसंधान फार्म,बांकी,सिसारमा,उदयपुर | 4. Development propagation technique of "Buchanania lanzan" | 0.25 |
| | | 5 Raising of plants of Dalbergia latifolia (Indian Rosewood) by seed | 0.25 |
| | | 6 Developing propagation protocol of some useful medicinal plants | 0.25 |
| 2018–19 | ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर | 7. Establishment of a Herbal Garden, at Grass Farm Nursery, Jaipur | 4.50 |
| | Director AFRI, Jodhpur | 8 Study on the effects of tree on soil fertility and crop production in Rajasthan | 2.16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019–20 | विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर | 1. Forest food festival | 2.00 |
| | | 2. Habitat improvement, renovation & biodiversity conservation work at Amrita Devi park, Jaipur | 4.50 |
| | ग्रास फार्म नर्सरी , जयपुर | 3. To study the effect of pusa Hydro gel on plants on different parameters. | 0.45 |
| | | 4. Developing alter natives to poly bags | 0.30 |
| | वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सिसारमा, उदयपुर | 5. Developing propagation technique of *Dalbergia latifolia* | 0.20 |
| | | 6. Developing propagation protocol of some useful indigenous med. plants | 0.30 |
| | वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा | 7. Development & Improvement of seedling seed orchards | 4.50 |
| | | 8. Establishment of Vermi composting unit. | 0.50 |
| | क्षेत्रीय वन अधिकारी, बीज जयपुर | 9. Collection of quality seeds from Seed production Areas | 4.00 |
| | उप वन संरक्षक (अनुसंधान) राजस्थान, जयपुर। | 10. Organization of RAG meeting; documentation, publishing and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders. | 1.80 |

## 9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area)

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

## 9.4 बीज एकत्रीकरण

रेंज कार्यालय, बीज संग्रहण, जयपुर द्वारा उत्पादक क्षेत्रों से वर्ष 2018–19 में देशी बबूल के 1500 कि.ग्रा. व अकेशिया टोर्टलिस के 300 कि.ग्रा. कुल 1800 कि.ग्रा. एवं वर्ष 2019–20 में दिसम्बर 2019 तक देशी बबूल के 1500 कि.ग्रा. व खेजडी के 390 कि.ग्रा. कुल 1890 कि.ग्रा. बीजो का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गये।

## 9.5 बीज, मृदा व जल की जाँच

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालायें न केवल वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की निःशुल्क जाँच कर उपर्युक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

| वर्ष | नमूनों की संख्या (बीज) | नमूनों की संख्या (मृदा) | नमूनों की संख्या (जल) |
|---|---|---|---|
| 2017–18 | 157 | 12 | 13 |
| 2018–19 | 116 | 6 | 11 |
| 2019–20 | 127 | 7 | 9 |

# अध्याय–10

# विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्वति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा पेडों का विदोहन कर उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

## 10.1 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर स्टेज–2, बीकानेर व सूरतगढ कार्यरत है।

उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है। उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस कार्य का विदोहन उदयपुर जिलें में करवाया जा रहा है। उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

## 10.2 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ

### 10.2.1 लकडी व्यापार योजना

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सडकों एवं नहर के किनारों पर खडे वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकडी प्राप्त होती है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

| वर्ष | उत्पादन (लाख क्विंटल में) | | योग (लाख क्विंटल) | प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| | इमारती लकडी | जलाऊ लकडी | | |
| 2016-17 | 4.05 | 3.85 | 7.90 | 1963.38 |
| 2017-18 | 3.97 | 4.72 | 8.69 | 2630.38 |
| 2018-19 | 2.89 | 4.88 | 7.77 | 2969.29 |

वर्ष 2019–20 के लिए 3580.20 लाख राजस्व लक्ष्य के विरूद्व दिनांक 31.12.2019 तक 1164. 15 लाख रू. राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

### 10.2.2 बाँस विदोहन योजना

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये है, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में) | मानक बांस उत्पादन की उपलब्धि (संख्या लाखों में) | मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | 13.00 | 18.05 | 294.41 |
| 2017–18 | 11.00 | 11.02 | 318.22 |
| 2018–19 | 11.58 | 11.63 | 286.75 |
| 2019–20 (31.12.2019 तक) | 10.50 | 3.29 | 221.88 |

# अध्याय–11

## तेन्दू पत्ता व्यापार

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाडा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है।

संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर 18/– से 20/– रू0 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरंतर वृद्धि के पश्चात वर्ष 2019 में बढाकर रू. 950/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2019–20 के लिए राज्य की कुल 167 इकाइयों में से 134 इकाईयों का व्ययन हुआ एवं शेष 33 इकाईयों को पडत रखी गई। जिनके बेचान से मार्च 2020 तक लगभग 1086.91 लाख रु. की

आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2019 में कुल 2.70 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये जिसके विरूद्ध क्रेताओं द्वारा लगभग 2565.00 लाख रू0 का पारिश्रमिक सीधे ही श्रमिकों को चुकाया गया है।

वर्ष 2020 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किया जाने पश्चात माह दिसम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2020 के तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु रू. 1010/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2020–21 के लिए राज्य में कुल 167 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा उक्त इकाईयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 08.01.2020 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 09.01.2020 को खोली गई। जिसमें कुल 167 तेन्दू पत्ता इकाईयों में 48 तेन्दू पत्ता इकाईयों का व्ययन हुआ है एवं शेष 119 इकाईयों का व्ययन द्वितीय निविदाऐं दिनांक 15.01.2020 को आंमत्रित की जाकर दिनांक 16.01.2020 को खोली गई जिसमें अवशेष 119 इकाईयों में से 21 तेन्दू पत्ता इकाईयों का व्ययन हुआ है एवं शेष 98 इकाईयों का व्ययन संबंधित सम्भाग स्तर से खुली नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

**वर्ष 2016–17 से माह दिसम्बर, 2019–20 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां**

| क्र. स. | आय का विवरण | वास्तविक प्राप्तियां (लाख रू0 में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 (31.12.2019 तक) |
| 1. | तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय | 2204.13 | 7890.73 | 3462.31 | 984.75 |
| 2. | अन्य विविध आय | 15.26 | 91.09 | 22.24 | 5.51 |
| | **योग** | **2219.39** | **7981.82** | **3484.55** | **990.26** |

## अनुसूचित क्षेत्रों से प्राप्त आय का संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो मे उनके लागू होने के संबंध मे उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रो में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26(2) व 26(3) की पालना में वर्ष 2011–12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि 308.72 लाख रूपये (268.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका

है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012–13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि 830.23 लाख रूपये प्रस्तावित किये गये थे। जिसमें से 295.34 लाख तेन्दू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके हैं तथा रू. 274.98 लाख तेन्दू पत्ता आय से एवं 160.89 लाख रू. बांस की आय से SFC (State Finance commission) पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक 838.66 लाख रू. तेन्दू पत्ता से तथा 300.29 लाख रू. बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

# अध्याय–12

# ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस.

## 12.1 ई–गर्वेनेंस अनुभाग

### 12.1.1 विभागीय वेबसाईट (forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण

राजस्थान वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ई–गर्वनेन्स सुविधाओं के अन्तर्गत आती है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह कार्य RISL के माध्यम से किया जा रहा है।

### 12.1.2 ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल

विभाग में ई–प्रोक्यूरमेंट से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये गये हैं। राजस्थान राज्य लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक राशि के निविदा State Public Procuremet Portal पर प्रदर्शित किये जाने अनिवार्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्षों को User ID एवं Password उनके आवेदन पर 8 घंटों के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

### 12.1.3 ReAMS (E-gazette)

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु विभाग की ओर से उप वन संरक्षक आई0टी0 को अपलोडर बनाया गया है एवं उप वन संरक्षक श्रम एवं विधि को वेरीफायर नामित किया गया है। माह नवम्बर में प्रथम बार तेंदू पत्ता शाखा से तेंदू पत्ता इकाईयों का गठन का नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है जिसका प्रकाशन राजकीय मुद्रणालय द्वारा इस पार्टल का उपयोग कर किया गया।

**12.1.4 BSR online and A&F Sanction Module:** राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऑन लाईन जारी की जावेगी। BSR भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। आई0टी0 शाखा से विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जयपुर उत्तर वन मंडल को पॉयलट डिविजन के रूप में लिया गया है। इस हेतु समस्त संभागों को कार्यवाही के लिये लिखा गया है एवं विशेष प्रयास

करके जयपुर संभाग एवं जयपुर उत्तर वन मंडल को अग्रिम कार्यवाही हेतु मदद दी जा रही है।

**12.1.5 राजकीय ई मेलः** मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी विभागों में राजकीय मेल के उपयोग को आवश्यक किया गया है। इस हेतु विभाग में प्रत्येक कार्यालय के राजकीय मेल के संबंध में सहयोग किया जाकर उन्हें इससे अवगत कराया जा रहा है। साथ ही जिन कार्यालय में पदनाम बदलने या अन्य कारण से ई मेल काम में नहीं आ रहे उनके नवीन ई मेल बनाये जा रहे हैं।

**12.1.6 ई–ग्रीनवॉच** : सभी वन मण्डलों एवं रेंजो को उनके यूजर नेम एवं पासवर्ड दे दिये गये हैं। उनके द्वारा सूचना अपलोड की जा रही है। इस अनुभाग द्वारा कार्यो की प्रगति की मोनीटरिंग की जा रही हैं। मूल्यांकन एंव प्रबोधन के उप वन संरक्षकगणों को उनकी मूल्यांकन सबंधी टिप्पणी ऑनलाईन अंकित करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है।

**12.1.7 वीडियो कॉन्फ्रेसिंगः** विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है । अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा सकती है विभाग की संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ली जा रही है ।

**12.1.8 ई–ऑफिसः** भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए सभी प्रकार के अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशो के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त Online ACRs, IPRs & in selected offices Store Modules का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है।

**12.1.9 Technical Support:** विभाग की विभिन्न शाखों में आई0टी0 संबंधित कार्यवाही हेतु अनेक पोर्टल एवं सुविधाओं जैसे RTI portal, Jan Aadhar portal, RajWiFI, SSO ID etc. में तकनीकि सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

**12.1.10 मोबाइल सी.यू.जी** : अनुभाग द्वारा विभाग को उपवन संरक्षक स्तर तक के फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को BSNL के माध्यम से CUG SIM उपलब्ध करायी गयी जिससे कार्य करने एवं सूचनाओ को आदान प्रदान त्वरित एवं सुगम हो गया है। इससे वन अपराधों को रोकने में भी सहायता प्राप्त हुयी है। इससे विभाग के उच्चाधिकारियों के निजि फोन को भी निःशुल्क जोडा गया है।

### 12.1.11 Forest Management and Decision Supprt System (FMDSS):

इससे विभाग की अनेक गतिविधियों जैसे विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वनअपराध, वित्तीय प्रबन्धन आदि का प्रबन्धन एवं मोनीटंरिग सुचारू रूप किया जाना संभव हुआ है। इस परियोजना द्वारा सूचनाऐं केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध होती हैं। विभाग की सभी गतिविधियों का यह एकीकृत सिस्टम है। फील्ड से मुख्यालय तक सभी सूचनाओं का संचार त्वरित होगा तथा इससे विभाग के कार्यो में पारदर्शिता, कार्य क्षमता एवं accountability में वृद्धि होगी। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर विभिन्न परिवर्तनों एवं नवीन सुविधाओं के साथ FMDSS 2.0 बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

## 12.2 जी0आई0एस0 अनुभाग

### 12.2.1 वन सीमाओं का डिजिटाईजेशन कार्य:

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटाईज्ड की गई वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से की जा रही है। अब यह कार्य वनमंडलों में रेंजवार संबंधित स्टॉफ के साथ बैठक का आयोजन कर उन्हें रेंज स्तर से अपेक्षित कार्यवाही के लिये किया जा रहा है। वन मंडल गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, छतरगढ में ओ0डी0के0 एप के माध्यम से अतिरिक्त प्रयास कर वनखंडों की सीमाओं की लगभग 14000 लोकेशन की जी0पी0एस0 रीडिंग मंगवायी जाकर लगभग 2000 में से 1300 वनखंडों को प्राथमिक स्तर पर डिजिटाईज्ड किया गया है।

### 12.2.2 Thematic Mapping:

मुख्यालय स्तर पर वन्यजीव संभाग हेतु विभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों हेतु उपयोगी मैप बनाये जाकर कार्यवाही की गई है। साथ ही 172 रेंजों में रेंज स्तर के Draft डिजिटल मैप बनाये जाकर इन्हें संबंधित वनमंडलों को आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

### 12.2.3 फोरेस्ट फायर अलर्ट मैप

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की फॉरेस्ट फॉयर अलर्ट सुविधा का उपयोग कर फॉयर अलर्ट कोर्डिनेटस को डिजिटाईज्ड वन सीमाओं पर ओवरले किया जाकर वन मंडल वार फॉरेस्ट फॉयर अलर्ट मैप बनाये जा रहे हैं जिससे वनाग्नि संबधित प्रबंधन में सहयोग मिल सके। यह मैप्स सम्बंधित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक गण को दैनिक रूप से उनके ई–मेल पर प्रेषित किये जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2019 तक 2430 फायर अलर्ट हेतु 346 मेप्स तैयार किये गये हैं।

### 12.2.4 कार्य आयोजना संबंधित कार्य

इस वित्तीय वर्ष में उदयपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, जयपुर आदि जिलों की कार्य योजना हेतु संबधित कार्यालयों को जी0आई0एस0 डेटा बनाने एवं अनेक प्रकार की एनालिसस एवं मैप बनाने का कार्य किया गया है।

### 12.2.5 एफ0आर0ए0 से संबंधित कार्य

विभाग की वनसुरक्षा शाखा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित कार्य जिसमें लगभग 10000 के0एम0एल0 फाईल को जी0आई0एस0 सिसटम हेतु shape file format में तैयार कर अन्य आवश्यक सूचनाओं को जोडने का कार्य 23 वन मंडलों के लिये किया गया एवं इस प्रकार लगभग 6500 फाईल तैयार कर उपलब्ध कराई गई है।

### 12.2.6 Capacity Building in GIS Techniques

वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर की सुविधाओं का उपयोग करतें हुए विभिन्न वन मंडलों के सर्वेयरगण एवं अन्य फील्ड स्टॉफ को 15–15 के बैच में तीन दिवसीय जी0आई0एस0 तकनीक में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2019 तक तीन बैच को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

# अध्याय–13

# मानव संसाधन विकास

## वन प्रशिक्षण

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावे। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यो की राज्य के वन एवं वन्य जीव प्रबंधन के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है।

वर्ष 2019–20 में दिनांक 15.01.2020 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :–

| S. No. | Course Title | Date | Cadre | No. of Participar |
|---|---|---|---|---|
| **RFWTI Jaipur** | | | | |
| 1 | Training Improvement (TOT) | 04.04.2019 | LDC'S/ UDC'S/ OA | 35 |
| 2 | National Consultation Workshop on "Strategies for Accommodating Expanding Tiger Population in Rajasthan Landscape" | 9/10.05.2019 | ACF/RO/Forester/Guard | 87 |
| 3 | Wildlife Census Technique (Collaboration with DCF Jaipur) | 14.05.2019 | ACF/ RO/ Forester/ Guard | 101 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Video Conferencing Regarding Plantation Techniques and other Forestry Operations | 04.07.2019 | CCFs/CFs/DCFs/ACFs/ ROs& Other Field Staff | 25 |
| 6 | Greening Urban Spaces | 10.07.2019 | NGOs/ Citizens & Other Organization | 115 |
| 7 | Tree Planting Techniques | 13.07.2019 | Students/NGOs/ Citizens & other Organization | 45 |
| 8 | Generating Awareness about Nature Conservation with focus on Tree Planting Techniques | 17.07.2019 | Students/NGOs/Self Employee & other Organization | 110 |
| 9 | Tree Planting & Water Conservation Techniques | 24.07.2019 | Students/Teachers of Govt. Schools | 401 |
| 10 | Forest & Wildlife Conservation Seminar on International Tiger Day (Collaboration with DCF (WL) Jaipur Zoo & Rajasthan Jan Munch) | 29.07.2019 | Veterinary Officers | 85 |
| 11 | Assessment of Biodiversity & Field Botanization | 30.07.2019 | University Scholars of Plant Science | 60 |
| 12 | Assessment of Biodiversity & Field Botanization | 31.07.2019 | Students, Teachers & other Organisations | 109 |
| 13 | Forest Conservation Act. 1980 | 30.07.2019 | XEN/ AEN/ JEN of Line Departments | 42 |
| 14 | Basic Forestry Application of GIS Technology & use of QGIS | 6/8.08.2019 | Surveyors, Foresters, Guard's | 15 |
| 15 | Biodiversity Conservation of Rare Endangered and Threatened Species | 20.08.2019 | ACF'S/ RFO'S/ FORESTER'S/ GUARD'S | 37 |
| 16 | "Strategies for Conserving Local Biodiversity" in Collaboration with AFRI at Jodhpur | 27.08.2019 | RFO'S/ FORESTER'S/ GUARD'S | 41 |
| 17 | "Strategies for Conserving Local Biodiversity" in Collaboration with HCM RIPA at Udaipur | 29.08.2019 | Forest Officers (DCF'S, ACF'S, RFO'S, FORESTER'S, GUARD'S) | 45 |
| 18 | "Office Procedure conduct rules & procurement rules" | 21/22.08.2019 | UDC'S/ LDC'S | 34 |
| 19 | Training Programme on "Basic Computer Learning" | 28/29.08.2019 | UDC'S/ LDC'S | 25 |
| 20 | "Reviving Nature Friendliness: a green & Clean Initiative" | 04.09.2019 | Students/ Teachers/ Professional/House Wife's | 63 |
| 21 | Celebration of World Ozone Day (Collaboration with DCF, North) | 16.09.2019 | Field Staff/ Students | 160 |
| 22 | "Reptile Rescue Workshop" | 17.09.2019 | ACF'S / RFO'S/ FORESTER'S / GUARD'S/ NGOs/ Student | 33 |
| 23 | Workshop on "Reviving Nature Friendliness: A Green & Clean Initiative" | 18.09.2019 | Students/ NGO'S | 125 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Workshop on "Reviving Nature Friendliness : A Green & Clean Initiative " | 19.09.2019 | Students | 103 |
| 25 | Workshop on "Sustainable Ecotourism: Challenges and Strategies of Successful Implementation" | 25.09.2019 | IFS, RFS & Others Field Staff | 24 |
| 26 | Water Crisis and Future of our Wetlands in Collaboration with Nature Heritage Foundation | 28.09.2019 | Forest Officers (PCCF/ APCCF/CCF/CF/DCF) | 50 |
| 27 | Workshop on "Green & Clean Jaipur" | 01.10.2019 | Students, Teachers, NGOs | 120 |
| 28 | Training Pogramme on "Basic Computer Learning" | 10/11.10.2019 | UDC's/LDC's/Forester's /Guard's | 15 |
| 29 | Workshop On "Environment Awareness (Strategy Planning Home Gardening and Zero Waste Management) | 15.10.2019 | Citizens / NGO's | 45 |
| 30 | "Environment Awareness on (Home Gardening & Zero Waste Management" | 24.10.2019 | Citizens / NGO's/ Scholars | 90 |
| 31 | Forest Resource Accounting & Valuation of Economic Contribution of Forest & Protected Areas in Rajasthan (organised by APCCF Silva with IIFM Bhopal) | 05.11.2019 to 07.11.2019 | Forest Officers (DCF's/ ACF's/RFO's/ FORESTER's) | 50 |
| 32 | Eco friendly Development strategies for Climate Change Mitigation | 22.11.2019 | XEN's/AEN's of PWD, Local Bodies, Department & JDA | 68 |
| 33 | QGIS Training | 25.11.2019 to 27.11.2019 | Surveyor, Forester's, FG | 12 |
| 34 | Human Wildlife Conflicts : Issues & Mitigation | 02.12.2019 to 06.12.2019 | IFS Officers | 19 |
| 35 | Human Wildlife Conflicts | 04.12.2019 | Forest Officers (DCFs, ACFs) | 15 |
| 36 | Forest Conservation Act. 1980 | 10.12.2019 | XEN/AEN/DCF/ACF | 81 |
| 37 | QGIS Training | 11.12.2019 to 13.12.2019 | Surveyor's, Forester's, Guard's | 11 |
| 38 | Nursery Management & Techniques | 23.12.2019 | Forester's, Guard's, Gardner's | 70 |
| 39 | Seminar on Challenges & strategies of Invasive Species Management | 24.12.2019 | Forest Officers, (Research Faculty and Scholars | 130 |
| 40 | Capacity Building of Forest Officers on Wildlife Crime Control Organised in Collaboration with WCCB | 02.01.2020 to 04.01.2020 | Forest Officers, (ACF's/ RFO,s) & Police Officers | 44 |
| 41 | "Eco -Friendly Development approaches" | 03.01.2020 | Citizens / NGO's/ Scholars | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | "Challenges and Strategies of Wetland and Avian Conservation" in Collaboration with DCF (WL) Jaipur Zoo | 08.01.2020 | NGOs/ Citizens / Scholars & Other Organizations | 158 |
| 43 | Workshop on "Eco -Friendly use of resources " | 09.01.2020 | Students/ NGOs/ Staff/ Citizens | 42 |
| **FTI Jodhpur** | | | | |
| 1 | Earth Day | 22.04.2019 | Students, Teachers & Villagers | 205 |
| 2 | Environment Awareness Programme | 20.12.2019 to 22.12.019 | Students & Teachers | 1249 |
| 3 | Wildlife Management | 26.11.2019 to 23.12.2019 | Forester & Asst. Foresters | 50 |
| 4 | Nursery Techniques | 28.11.2019 to 24.12.2019 | Forest Guard, Nursery Mali & Workcharge | 55 |

## राजस्थान राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण (क्षेत्रफल–वर्ग किमी में)
## 31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार

| क्र.सं. | जिले का नाम | आरक्षित वन | रक्षित वन | अवर्गीकृत वन | कुल वन भूमि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 194.99 | 421.69 | 1.89 | 618.57 |
| 2 | भीलवाडा | 438.40 | 289.62 | 67.48 | 795.50 |
| 3 | नागौर | 0.80 | 206.28 | 35.32 | 242.40 |
| 4 | टोंक | 101.42 | 233.76 | 1.77 | 336.94 |
| 5 | बीकानेर | 0.00 | 755.26 | 495.41 | 1250.67 |
| 6 | चुरू | 7.20 | 48.58 | 17.96 | 73.73 |
| 7 | श्री गंगाानगर | 0.00 | 238.42 | 395.02 | 633.44 |
| 8 | हनुमानगढ | 0.00 | 113.37 | 126.09 | 239.46 |
| 9 | भरतपुर | 28.73 | 393.25 | 12.97 | 434.94 |
| 10 | धौलपुर | 7.92 | 597.73 | 44.03 | 649.68 |
| 11 | करौली | 62.99 | 1693.13 | 53.93 | 1810.05 |
| 12 | सवाईमाधोपुर | 834.83 | 118.16 | 22.01 | 975.00 |
| 13 | जयपुर | 678.38 | 263.17 | 4.94 | 946.49 |
| 14 | झुंझुनू | 6.02 | 399.33 | 0.00 | 405.36 |
| 15 | सीकर | 9.92 | 622.40 | 9.22 | 641.54 |
| 16 | अलवर | 1010.78 | 640.33 | 133.55 | 1784.66 |
| 17 | दौसा | 134.87 | 149.26 | 0.36 | 284.49 |
| 18 | जोधपुर | 4.68 | 184.99 | 55.46 | 245.13 |
| 19 | बाडमेर | 20.30 | 568.81 | 48.10 | 637.21 |
| 20 | जैसलमेर | 0.00 | 239.85 | 342.17 | 582.01 |
| 21 | जालौर | 126.13 | 299.97 | 83.89 | 509.99 |
| 22 | पाली | 816.56 | 144.82 | 2.21 | 963.58 |
| 23 | सिरोही | 614.04 | 985.43 | 42.56 | 1642.03 |
| 24 | कोटा | 879.50 | 436.16 | 20.53 | 1336.19 |
| 25 | बांरा | 0.00 | 2233.03 | 15.82 | 2248.84 |
| 26 | बून्दी | 867.76 | 680.85 | 19.25 | 1567.86 |
| 27 | झालावाड | 314.72 | 946.60 | 25.39 | 1286.72 |
| 28 | उदयपुर | 2449.60 | 1440.28 | 13.21 | 3903.09 |
| 29 | बांसवाडा | 0.00 | 1006.33 | 0.66 | 1007.00 |
| 30 | चित्तौडगढ | 1200.15 | 571.20 | 0.75 | 1772.10 |
| 31 | डूगंरपुर | 257.08 | 435.71 | 0.51 | 693.30 |
| 32 | प्रतापगढ | 907.12 | 1018.02 | 0.62 | 1925.75 |
| 33 | राजसंमद | 277.41 | 119.20 | 4.98 | 401.58 |
| | कुल योग | **12252.28** | **18494.98** | **2098.05** | **32845.30** |

**LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN**

| S.no | Protected Area Name | District | Area(Sq. Km) | Notification no. and date |
|---|---|---|---|---|
| A | **National Park** | | | |
| 1 | Ranthambhore National Park | Sawai Madhopur | 282.03 | F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980 |
| 2 | Keoladeo National Park | Bharatpur | 28.73 | F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981 |
| 3 | Mukundra Hills National Park | Kota, Chittorgarh | 199.55 | F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012 Overlap with Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary |
| | **TOTAL** | | **510.31** | Area overlap between Sanctuaries and National Parks exists which has been reduced in respective Sanctuaries |
| **B** | **Wildlife Sanctuaries** | | | |
| 1 | Sariska Sanctuary | Alwar | 491.99 | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
| 2 | Sariska 'A' Sanctuary | Alwar | 3.01 | P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012 |
| 3 | Darrah Sanctuary | Kota, Jhalawar | 227.64 | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 Overlap with Mukundara Hills National Park. Area based on MHTR notifications |
| 4 | Jawaharsagar Sanctuary | Kota, Bundi, Chittorgarh | 194.59951 | F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975 Overlap with Mukundara Hills National Park Area based on MHTR notifications |
| 5 | Jaisamand Sanctuary | Udaipur | 52.34 | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
| 6 | Phulwari ki Naal Sanctuary | Udaipur | 511.41 | F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983 |
| 7 | Sajjangarh Sanctuary | Udaipur | 5.19 | F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987 |
| 8 | Sitamata Sanctuary | Udaipur, Chittorgarh | 422.94 | F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979 |
| 9 | Mount Abu Sanctuary | Sirohi | 326.10 | P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008 |
| 10 | Talchappar Sanctuary | Churu | 7.19 | F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962 |
| 11 | National Chambal Ghariyal Sanctuary | Kota, Bundi, Sawaimadhopur, Karoli, Dholpur | 564.03 | F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979 Overlap with Mukundara Hills National Park Area as per DGPS survey |
| 12 | Nahargarh Sanctuary | Jaipur | 52.40 | F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980 |
| 13 | Jamwagarh Sanctuary | Jaipur | 300.00 | F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Desert National Park Sanctuary | Jaisalmer, Barmer | 3162.00 | F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980 |
| 15 | Ramgarh Vishdhari Sanctuary | Bundi | 303.05 | F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982 After de-notification |
| 16 | Keladevi Sanctuary | Karoli, Sawai Madhopur | 676.82 | F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983 |
| 17 | Shergarh Sanctuary | Baran | 81.67 | F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983 |
| 18 | Todgarh Raoli Sanctuary | Rajsamand, Ajmer, Pali | 495.27 | F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983 |
| 19 | Kumbhalgarh Sanctuary | Rajsamand, Udaipur, Pali | 610.528 | F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971 |
| 20 | Sawaimansingh Sanctuary | Sawai Madhopur | 113.07 | F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984 |
| 21 | Sawaimadhopur Sanctuary | Sawai Madhopur | 131.30 | F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955 Overlap with Ranthambhore National Park |
| 22 | Bhensrodgarh Sanctuary | Chittorgarh | 201.40 | F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983 |
| 23 | Bassi Sanctuary | Chittorgarh | 138.69 | F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988 |
| 24 | Van Vihar Sanctuary | Dholpur | 25.60 | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
| 25 | Ramsagar Sanctuary | Dholpur | 34.40 | F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955 |
| 26 | Kesarbagh Sanctuary | Dholpur | 14.76 | F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955 |
| 27 | Band Baretha Sanctuary | Bharatpur | 199.24 | F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985 |
| | **TOTAL** | | **9015.79** | **Excluding overlaps with National Parks and among Sanctuaries** |
| **C** | **Conservation Reserves** | | | |
| 1 | Bisalpur Conservation Reserve | Tonk | 48.31 | P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008 |
| 2 | Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve | Bikaner | 56.4662 | P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008 |
| 3 | Sundhamata Conservation Reserve | Jalor, Sirohi | 117.4892 | P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008 |
| 4 | Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve | Jodhpur | 2.3187 | P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011 |
| 5 | Shakambari Conservation Reserve | Sikar, Junjhunu | 131.00 | P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012 |
| 6 | Gogelav Conservation Reserve | Nagaur | 3.58 | P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Beed Jhunjunu Conservation Reserve | Junjhunu | 10.4748 | P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012 |
| 8 | Rotu Conservation Reserve | Nagaur | 0.7286 | P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012 |
| 9 | Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve | Kota | 2.72 | F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012 |
| 10 | Jawaibandh Leopard Conservation Reserve | Pali | 19.79 | F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013 |
| 11 | Bansial-Khetri Conservation Reserve | Jhunjhunu | 70.1834 | F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017 |
| 12 | Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve | Jhunjhunu | 39.66 | F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018 |
| 13 | Jawai Bandh Leapord Conservation Reserve II | Pali | 61.98 | F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018 |
| 14 | Mansa mata Conservation Reserve | Jhunjhunu | 102.31 | F3(9) FOREST/ 2013 Jaipur dated 18.11.2019 |
| | **TOTAL** | | **667.01** | |
| **D** | **Tiger Reserves** | | | |
| 1 | Ranthambhore Tiger Reserve | Sawaimadhopur, Karauli, Bundi, Tonk | 1411.29 | F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary. |
| 2 | Sariska Tiger Reserve | Alwar, Jaipur | 1213.34 | F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012(Buffer Notification) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary |
| 3 | Mukundara Hills Tiger Reserve | Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh | 759.99 | F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(CTH Notification) and F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013(Buffer Notification) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary |
| | **TOTAL** | | **1589.45** | **Excluding overlaps with National Parks and Sanctuaries** |
| | **TOTAL AREA** | | **11782.56** | Excluding all overlaps between Tiger Reserves, National Parks and Sanctuaries |

* Further accuracy being determined by digitization.

| S. NO | Status of declaration of ESZ ( 22.01.2020) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Submitted to Govt. of india (18) | | | Submitted to GOR(1 ) | Pending with Department (5) |
| | **Final notification issued by GOI (8)** | Draft notification issued by GOI (6) | Pending for draft notification (4) | | |
| 1 | Todgarh Raoli | Bassi | Sariska Tiger Reserve, | Kumbhalgarh | DNP |
| 2 | Van Vihar | Mt. Abu, | Talchappar | | Shergarh |
| 3 | Sajjangarh | MHTR | Ramgarh Vishdhari | | National Chambal Sanctuary |
| 4 | Sitamata | Ramsagar | Phulwari Ki Nal | | Ranthambhore tiger reserve alongwith Keladevi WLS |
| 5 | Jamwaramgarh | Kesarbagh | | | Bhainsrodgarh |
| 6 | Bandh Baretha | Jaisamand | | | |
| 7 | Nahargarh | | | | |
| 8 | Keoladeo National Park | | | | |

**परिशिष्ठ–4**

राज्य योजना में वर्ष 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 (माह दिसम्बर) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

(रू. लाखों में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | वर्ष 2017–18 | | | | | वर्ष 2018–19 | | | | | वर्ष 2019–20 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आय–व्यय अनुमान | संशोधित अनुमान | इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता | व्यय | केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय | आय–व्यय अनुमान | संशोधित अनुमान | इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता | व्यय | केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय | आय–व्यय अनुमान | इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता | व्यय (दिसम्बर, 2019 तक) | केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय |
| 1 | संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य | 50 | 28.19 | | 21.73 | | 55.13 | 20 | | 18.91 | | 55.13 | | 5.11 | |
| 2 | परिग्राषित वनों का पुनरारोपण | 2334.9 | 2506.94 | | 2367.53 | | 2718.52 | 2728.74 | | 2504.87 | | 2996.97 | | 1411.59 | |
| 3 | जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन | 356.82 | 256.82 | | 234.44 | | 422.57 | 350.13 | | 320.27 | | 447.17 | | 133.55 | |
| 4 | एकीकृत वन सुरक्षा योजना | 400 | 175 | 105 | 174.96 | 104.98 | 440 | 189.69 | 113.79 | 96.55 | 90.73 | 418.14 | | 93.1 | 93.1 |
| 5 | कृषि वानिकी | 536 | 544.53 | | 468.32 | | 909.15 | 757.4 | | 650.61 | | 657.91 | | 198.31 | |
| 6 | बाघ परियोजना रणथम्भौर | 1400.13 | 1951.75 | 414.57 | 575.91 | 316.83 | 1974.05 | 579.68 | 276.69 | 518.52 | 281.57 | 2140.92 | 341.66 | 412.19 | 196.02 |
| 7 | बाघ परियोजना सरिस्का | 906.01 | 742.61 | 305.51 | 575.75 | 267.17 | 780.11 | 610.52 | 364.44 | 509.45 | 288.67 | 946.07 | 433.52 | 353.34 | 165.57 |
| 8 | अन्य अभ्यारण्यों का संधारण | 945.03 | 1163.56 | 448.93 | 919.34 | 397.44 | 1179.03 | 1196.95 | 527.25 | 1024.98 | 359.64 | 1509.78 | 423.3 | 445.87 | 191.22 |
| 9 | गोरधन ड्रेन | 150.01 | 110.01 | | 94.09 | | 110.01 | 110.01 | | 110 | | 120.01 | | 79.2 | |
| 10 | राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास | 344.5 | 116.45 | 168.98 | 112.83 | 42.13 | 130 | 102.95 | 34.82 | 87.89 | 35.44 | 114 | 201 | 52.91 | 16.16 |
| 11 | चिडियाघरों का सुधार | 130.03 | 150.03 | 0 | 150.01 | | 150.02 | 150.01 | | 119.68 | | 150.01 | 0 | 60.82 | 0 |
| 12 | संचार एवं भवन | 343 | 343 | | 302.09 | | 367 | 242 | | 187.52 | | 294 | | 55.52 | |
| 13 | सांभर नम भूमि परियोजना | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | | 0.02 | 0.02 | | 0 | | 0.02 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | भाखड़ा नहर वृक्षारोपण | 355.65 | 325.55 | | 320.5 | | 414.33 | 350 | | 344.9 | | 517.28 | | 302.01 | |
| 15 | गंगनहर वृक्षारोपण | 274.5 | 274.5 | | 274.35 | | 199.24 | 199.24 | | 194.9 | | 153.51 | | 97.17 | |
| 16 | कैम्पा कोष | 11.26 | 169.97 | | 153.79 | | 20 | 20 | | 18.72 | | 15.32 | | 0 | |
| 17 | पर्यावरण वानिकी | 800.61 | 971.62 | | 951.14 | | 886.75 | 753.25 | | 610.8 | | 233.5 | | 102.86 | |
| 18 | राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना | 9800 | 9900 | | 9923.68 | | 6000 | 5400 | | 4515.92 | | 4860 | | 1000 | |
| 19 | राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव | 0.01 | 0 | | 0 | | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | | 0 | |
| 20 | पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास | 75 | 100 | | 82.69 | | 200 | 45 | | 42.89 | | 100 | | 8.56 | |
| 21 | घना पक्षी विहार का विकास | 100.1 | 124.98 | 44.93 | 116.38 | 38.68 | 136.3 | 114.3 | 31.49 | 100.07 | 36.04 | 144.63 | 55.27 | 22.22 | 0.38 |
| 22 | अनुसंधान एवं प्रशिक्षण | 85 | 80 | | 72.66 | | 103 | 59 | | 58.62 | | 95 | | 27.28 | |
| 23 | साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण | 20 | 20 | | 16.7 | | 20 | 16 | | 12.02 | | 20 | | 3.18 | |
| 24 | नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण) | 4773.05 | 8660.52 | | 7735.91 | | 5250.36 | 2925.73 | | 2801.88 | | 2004.96 | | 558.03 | |
| 25 | जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण | 2634.61 | 2669.36 | | 2517.85 | | 2625.33 | 2202.91 | | 1798.96 | | 3275.26 | | 1312.67 | |
| 26 | जैविक उद्यान कायलाना | 0.03 | 0.03 | | 0 | | 0.03 | 0.03 | | 0 | | 0.02 | | 0 | |
| 27 | पक्षी राहत केन्द्र | 197.44 | 185.44 | | 156.29 | | 5.02 | 5.02 | | 4.32 | | 5.02 | | 1.61 | |
| 28 | राज्य वन विकास अभिकरण | 105 | 233.18 | 139.91 | 233.18 | 139.91 | 165 | 165 | 195.25 | 66 | 0 | 255.25 | 0 | 259.41 | 195.25 |
| 29 | अवैध खनन की रोकथाम | 228 | 228 | | 222.68 | | 228 | 228 | | 223.47 | | 0.02 | | 0 | |
| 30 | जैविक उद्यान, बीकानेर | 100.03 | 350.03 | | 350 | | 600.03 | 100.03 | | 100 | | 350.03 | | 7.05 | |
| 31 | वन धन योजना | 100 | 100 | | 77.35 | | 200 | 39.85 | | 37.79 | | 125 | | 3.86 | |
| 32 | मुकुन्दरा नेशनल पार्क | 370 | 296.37 | 155.35 | 221.71 | 123.23 | 407.02 | 281.23 | 150.7 | 176.92 | 104.64 | 498.5 | 180.83 | 108.23 | 46.08 |
| 33 | टाईगर सफारी आमली | 100.01 | 100.01 | | 99.99 | | 100.01 | 0.02 | | 0 | | 0.02 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | | 0 | |
| 35 | नाबार्ड पोषित जल सगरण परियोजना | 0.02 | 0.02 | | 0 | | 0.02 | 0.02 | | 0 | | 0.02 | | 0 | |
| 36 | परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | | 0 | |
| 37 | वृषि वानिकी (पंचायती राज) | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | 0.01 | | 0 | | 0.01 | | 0 | |
| 38 | आकल वुड फोसिल पार्क | 500 | 20 | | 0.13 | | 300 | 0.01 | | 0 | | 150 | | 0 | |
| 39 | प्रोजेक्ट लेपर्ड | 700 | 700 | | 699.99 | | 500 | 300 | | 299.48 | | 500 | | 126.56 | |
| 40 | गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास | 200 | 200 | | 199.64 | | 200 | 120 | | 119.64 | | 200 | | 131.79 | |
| 41 | स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट | 10 | 50.62 | | 49.98 | | 50.62 | 50.62 | | 39.33 | | 0.01 | | 0 | |
| 42 | प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी) | 0 | 0 | | 0 | | 40 | 28.27 | 12.66 | 22.38 | 13.43 | 40 | 35.28 | 10.87 | 6.18 |
| 43 | ग्रीन इडिया मिशन | 0.02 | 0.01 | | | | 0.02 | 0.02 | | 0 | | 0.02 | 0 | 0 | |
| 44 | इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण | | | | | | | | | | | 1190 | | 765.34 | |
| 45 | कैम्पा | | | | | | | | | | | 10000 | | 456.23 | |
| 46 | जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेडों का पौधारोपण | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0 | |
| | योग | **29436.82** | **33849.15** | **1783.18** | **30473.59** | **1430.37** | **27886.73** | **20441.69** | **1707.09** | **17738.26** | **1210.16** | **34583.55** | **1670.86** | **8606.44** | **909.96** |

**परिशिष्ठ–5**

वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक कुल प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में माह दिसम्बर 2019 तक कुल प्राप्तियों का वर्षवार विवरण :–

(राशि लाखों में)

| राजस्व मद 0406 | कुल प्राप्तियां 2016–17 | कुल प्राप्तियां 2017–18 | कुल प्राप्तियां 2018–19 | बजट अनुमान 2019–20 | माह दिसम्बर 2019 तक कुल प्राप्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय | 179.58 | 8.40 | 29.05 | 30.00 | 101.35 |
| 101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना | 1963.82 | 2651.45 | 2964.85 | 3550.00 | 1115.17 |
| 101–03–बांस में प्राप्तियां | 294.40 | 318.22 | 288.15 | 500.00 | 219.59 |
| 101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज | 220.58 | 277.44 | 156.75 | 275.00 | 109.98 |
| 101–06–तेंदू पत्ता व्यापार योजना 01–तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां | 2406.46 | 7834.28 | 3477.27 | 2500.00 | 926.04 |
| 101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां | 21.04 | 95.41 | 52.30 | 25.00 | 11.55 |
| 800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण | 1193.60 | 1345.73 | 1525.58 | 1550.00 | 1433.54 |
| 800–03–व्ययगत निक्षेप | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 1.00 | - |
| 800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती | 4.57 | 1.93 | 4.01 | 6.00 | 2.46 |
| 800–05–अन्य विविध प्राप्तियां | 1334.51 | 1108.44 | 446.56 | 800.00 | 389.13 |
| 800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां | 360.98 | 831.61 | 1417.91 | 1275.00 | 603.56 |
| 050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां | -_ | - | - | 2.00 | 8.22 |
| 050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तयां | _ | 7.22 | 9.14 | 2.00 | 1.00 |
| 02–111–01– चिड़ियाघर से प्राप्तियां | 522.04 | 583.81 | 577.42 | 800.00 | 304.32 |
| 02–800–01– इको डवलपमेन्ट से आय | 502.92 | 403.68 | 460.65 | 600.00 | 328.79 |
| 02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति | 749.06 | 909.91 | 1033.51 | 1250.00 | 744.69 |
| 02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति | 39.01 | 40.56 | 41.82 | 70.00 | 32.67 |
| 02–800–04– रणथम्भोर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट | 1202.36 | 1550.18 | 1548.20 | 2100.00 | 1167.55 |
| 02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय | 84.82 | 99.31 | 101.49 | 125.00 | 80.75 |
| 06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय | _ | - | 392.58 | 480.00 | 317.46 |
| 050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां | 6.31 | 9.53 | 26.44 | 10.00 | 2.87 |
| 050–02–अनुपयोगी सामानो के निस्तारण से प्राप्तियां | 3.77 | 11.37 | 22.65 | 5.00 | 16.79 |
| महायोग | **11100.33** | **18089.09** | **14576.43** | **15956.00** | **7917.48** |

**परिशिष्ठ–6**

## वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति

| क.सं. | योजना / मद | ईकाई | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2019–20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपलब्धियां | उपलब्धियां | भौतिक लक्ष्य | उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2019 तक) |
| A | वानिकी | | | | | |
| i | कृषि वानिकी (पौध तैयारी) | लाखों में | 64.05 | 51.40 | 45.00 | 22.34 |
| ii | पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण) | है. | 100 | 150 | 158.66 | 158.66 |
| iii | भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण | रो.कि.मी. | 555 | 1073.31 | 1265 | 1265 |
| iv | परिभ्राषिंत वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण) | है. | 2850 | 3050 | 4100 | 4100 |
| v | जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण | है. | 2050 | 1448 | 2810 | 2810 |
| B | नाबार्ड | | | | | |
| i | नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण | है. | 18151 | 10950 | 0 | 0 |
| C | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना | | | | | |
| i | राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –।। वृक्षारोपण | है. | 5758 | 0 | 0 | 0 |
| D | इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण | है. | 0 | 0 | 459.00 | 459.00 |
| E | राज्य वन विकास अभिकरण (SFDA) | है. | 0 | 1400 | 0 | 0 |
| F | कैम्पा | है. | 7456.80 | 8558.56 | 8632.83 | 8632.83 |

**परिशिष्ठ –7**

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2016–17, 2017–18 एवम् 2018–19 की उपलब्धि एवं वर्ष 2019–20 (माह दिसम्बर, 2019 तक) जिलेवार वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि

| क.सं. | जिला | वृक्षारोपण (है0) | | | | रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखों में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उपलब्धि 2016–17 | उपलब्धि 2017–18 | उपलब्धि 2018–19 | उपलब्धि 2019–20 (दिसम्बर,2019) | उपलब्धि 2016–17 | उपलब्धि 2017–18 | उपलब्धि 2018–19 | उपलब्धि 2019–20 (दिसम्बर, 2019) |
| 1 | अजमेर | 700 | 1056 | 910 | 1123.000 | 3.890 | 6.270 | 5.918 | 6.727 |
| 2 | अलवर | 2124 | 1460 | 1279 | 919.510 | 15.900 | 14.080 | 11.780 | 9.190 |
| 3 | बांसवाड़ा | 3064 | 1262 | 1030 | 700.000 | 19.713 | 7.979 | 6.309 | 4.890 |
| 4 | बारां | 950 | 3145 | 2111 | 222.000 | 7.650 | 25.523 | 15.407 | 1.660 |
| 5 | बाड़मेर | 3050 | 432 | 857 | 485.000 | 18.200 | 2.590 | 8.230 | 4.640 |
| 6 | भरतपुर | 353 | 60 | 165 | 200.000 | 2.200 | 0.400 | 0.816 | 1.860 |
| 7 | भीलवाड़ा | 1895 | 250 | 500 | 1020.000 | 9.000 | 1.636 | 1.825 | 2.245 |
| 8 | बीकानेर | 6966 | 924 | 739 | 571.430 | 41.763 | 7.153 | 5.024 | 3.946 |
| 9 | बून्दी | 491 | 1142 | 969 | 220.000 | 3.170 | 9.339 | 4.517 | 1.300 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 2299 | 2030 | 2243 | 574.220 | 15.420 | 13.270 | 14.344 | 2.350 |
| 11 | चूरू | 1185 | 793 | 824 | 953.000 | 7.170 | 4.672 | 3.790 | 4.128 |
| 12 | दौसा | 311 | 306 | 345 | 400.000 | 2.190 | 1.790 | 1.623 | 1.100 |
| 13 | धौलपुर | 1665 | 1242 | 580 | 864.000 | 14.790 | 9.140 | 4.429 | 5.500 |
| 14 | डूंगरपुर | 2036 | 1226 | 1871 | 1282.000 | 14.358 | 8.287 | 10.809 | 7.931 |
| 15 | गंगानगर | 1108 | 926 | 704 | 606.680 | 7.555 | 6.401 | 4.987 | 6.076 |
| 16 | हनुमानगढ़ | 596 | 566 | 752 | 588.980 | 4.000 | 4.450 | 6.070 | 4.330 |
| 17 | जयपुर | 2720 | 1800 | 780 | 1320.900 | 18.590 | 13.810 | 3.260 | 8.586 |
| 18 | जालौर | 1576 | 1333 | 840 | 911.920 | 19.348 | 12.310 | 5.274 | 7.490 |
| 19 | जैसलमेर | 8518 | 2778 | 754 | 1727.830 | 52.070 | 18.120 | 4.400 | 10.590 |
| 20 | झालावाड़ | 977 | 1295 | 1010 | 734.321 | 8.860 | 7.617 | 5.303 | 8.600 |
| 21 | झुन्झुनूं | 1338 | 957 | 1082 | 1188.000 | 11.660 | 6.350 | 6.489 | 7.130 |
| 22 | जोधपुर | 2516 | 1644 | 651 | 632.000 | 11.110 | 8.260 | 3.020 | 3.440 |
| 23 | करौली | 2168 | 1134 | 1110 | 308.000 | 17.070 | 6.670 | 5.280 | 1.870 |
| 24 | कोटा | 2454 | 3648 | 2121 | 500.000 | 12.559 | 23.705 | 11.350 | 4.800 |
| 25 | नागौर | 729 | 498 | 335 | 237.460 | 4.645 | 3.190 | 1.150 | 1.463 |
| 26 | पाली | 3807 | 1536 | 1357 | 783.000 | 14.120 | 9.710 | 5.890 | 4.140 |
| 27 | प्रतापगढ़ | 2100 | 1538 | 2438 | 1127.470 | 19.930 | 10.433 | 11.715 | 8.369 |
| 28 | राजसमन्द | 927 | 646 | 859 | 1150.000 | 6.060 | 4.610 | 4.077 | 1.475 |
| 29 | सवाई माधोपुर | 320 | 525 | 536 | 540.000 | 2.820 | 3.140 | 1.770 | 2.580 |
| 30 | सीकर | 1829 | 1595 | 1351 | 781.490 | 13.520 | 7.150 | 7.150 | 6.733 |
| 31 | सिरोही | 932 | 1023 | 368 | 350.000 | 6.619 | 5.000 | 1.130 | 1.440 |
| 32 | टोंक | 934 | 1228 | 260 | 119.310 | 6.070 | 7.980 | 4.250 | 1.950 |
| 33 | उदयपुर | 4177 | 3875 | 3067 | 1285.830 | 31.548 | 29.630 | 16.171 | 8.214 |
| | कुल | 66815 | 43873 | 34798 | 24427.351 | 443.57 | 300.67 | 203.556 | 156.743 |

परिशिष्ठ–8

## विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

| क्र.सं. | न्यायालय का नाम | विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 09.01.2020 की स्थिति अनुसार) |
|---|---|---|
| 1 | सर्वोच्च न्यायालय | 30 |
| 2 | राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) | 20 |
| 3 | उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर | 1585 |
| 4 | सिविल सेवा अपील अधिकरण | 164 |
| 5 | अधीनस्थ न्यायालय | 1928 |
| 6 | अधिकरण न्यायालय | 23 |
| | योग | **3750** |

## नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

| क्र.सं. | विवरण | 01.04.2016 को बकाया | | निस्तारण 2016–17 | | 01.04.2017 को बकाया | | निस्तारण 2017–18 | | 01.04.2018 को बकाया | | निस्तारण 2018–19 | | लम्बित 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा | प्रतिवेदन | पैरा |
| 1 | सी.ए.जी प्रतिवदेन | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 2 | पी.ए.सी. प्रतिवेदन | 4 | 61 | 3 | 58 | 2 | 57 | 2 | 44 | 5 | 70 | – | 10 | 5 | 60 |
| 3 | ड्राफ्ट पैरा | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | 3 |
| 4 | तथ्यात्मक विवरण | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
| 5 | महालेखाकार के आक्षेप | 335 | 1127 | – | – | 338 | 1206 | 26 | 242 | 367 | 1414 | 16 | 148 | 336 | 1588 |

परिशिष्ट–10

## वर्तमान एवं गत विधानसभा प्रश्नों में हुई प्रगति विवरण

दिनांक 31.01.2020 तक

| विधान सभा/ सत्र संख्या | वन विभाग के | | | | अन्य विभागों से | | | विभाग स्तर पर कुल प्रक्रियाधीन जवाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्राप्त प्रश्नों की संख्या | विधान सभा को प्रेषित जवाब की संख्या | राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित जवाब की संख्या | विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब की संख्या | प्राप्त प्रश्नों की संख्या | सम्बन्धित विभाग को भिजवाये गये जवाब की संख्या | विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 वीं राजस्थान विधान सभा | | | | | | | | |
| सत्र–1 से सत्र–11 (पूर्व अवधि) | **767** | **765** | **1** | **1** | **331** | **330** | **1** | **2** |
| 15 वीं राजस्थान विधानसभा | | | | | | | | |
| सत्र–1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| सत्र–2 | 132 | 105 | 17 | 10 | 36 | 32 | 4 | 14 |
| सत्र–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | **162** | **135** | **17** | **10** | **52** | **48** | **4** | **14** |

''दरियाई घोड़ा'' नाहरगढ़ बॉयोलोजिकल पार्क, जयपुर

# पौधे लगायें, साथ ही साथी से कहें

मुख पृष्ठ : राज्य पक्षी ''गौड़ावण'' (In Capture)

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।